कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 56 अंक : 3 जनवरी 2010 2010 मूल्य : 10 रुपये

बदलते गांव उभरता देश

जागो ग्राहक जागो

'आसानी से धन' कभी नहीं मिलता

झूठे वादों के शिकार न बनें

भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को सावधान करता है कि :

- भारत के बैंकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को विप्रेषित/अंतरित करने का दावा करने वाली समुद्रपारीय संस्थाओं द्वारा सस्ती निधियों और बहुमूल्य वस्तुओं के काल्पनिक प्रस्तावों का शिकार न बनें।
- भारतीय निवासियों सहित अनजान विदेशी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से योजनाओं / प्रस्तावों में सहभागिता के लिए कोई विप्रेषण न करें।
- लॉटरी या लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभागिता के लिए किसी भी स्वरुप में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक न तो व्यक्तियों / कंपनियों / न्यासों के नाम पर भारत में किसी खाते का रखरखाव करता है और न वितरण के लिए निधियाँ धारित करता है और ना ही किसी पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि को लॉटरी योजनाओं का प्रस्ताव करने और भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता है।

जनहित में जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
Website : www.rbi.org.in

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in

उपभोक्ता इन नम्बरों पर भी सम्पर्क कर सकते है : राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन सं. (1800-11-4000 प्रशुल्क मुक्त) (बीएसएनएल/एमटीएनएल से) 011-27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल प्रभार लागू) (पूर्वाहन 9.30 बजे से अपराहन 5.30 बजे तक – सोमवार से शानिवार।

davp 08101/13/0150/0910

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 56 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48, पौष–माघ 1931, जनवरी 2010

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद

वरिष्ठ सम्पादक
कैलाश चन्द मीना

सम्पादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा

व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

★ भारतीय गांवों की बदलती तस्वीर	प्रो. रतन लाल गोदारा सौरभ कटारिया	3
★ बदलते गांव, उभरता देश	अखिलेश चन्द्र यादव	8
★ शिक्षा ने बदली ग्रामीणों की सोच	कुसुमलता सिंह	14
★ स्वास्थ्य, सूचना और रोजगार से ग्रामीण विकास	संतोष कुमार सिंह	18
★ पंजाब की फुलकारी शिल्पकला	–	23
★ देश के विकास से जुड़ा है किसानों का हित	डॉ. भूपेन्द्र राय	26
★ 76 बसंत देख चुके किसान से संवाद	एन.डी. कोहरी	31
★ एक स्वयंसेवी संस्था के प्रयास से बदली गांव की तकदीर	दिलीप कुमार यादव	34
★ लोबिया का बेहतर उत्पादन	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	37
★ करेला, भिंडी और मेथी के औषधीय गुण	डॉ. डी.डी. ओझा	42
★ बूंद- बूंद सिंचाई प्रणाली से की धान की पैदावार	घनश्याम वर्मा	46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'ग्राम स्वराज्य' को स्वतंत्र भारत के विकास के केंद्र बिन्दु के रूप में देखा था और आज जब भारत अपना 60वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो हम कह सकते हैं कि उनका यह सपना सच होने जा रहा है। आज गांव–गांव में स्कूल, सड़कें, मोबाइल, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध हैं। जाहिर तौर पर सरकार, स्वयंसेवी संगठनों और स्वयं ग्रामीण जनता के प्रयासों के चलते ही गांवों का विकास संभव हो पाया है जिससे आज ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलते नजर आ रहे हैं।

यूं तो विकास की दृष्टि से गांवों में इन छह दशकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं किंतु सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005; यह योजना एक ऐसे हथियार के रूप में सामने आई है जो ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। इस योजना से करीब साढ़े चार करोड़ ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और इसने गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन रोकने में भरपूर सफलता अर्जित की है।

आज गांव आर्थिक रूप से पहले से सम्पन्न हुए हैं। संचारक्रांति से जहां घर–घर तक टेलीफोन और मोबाइल पहुंचे हैं वहीं राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना से गांव–गांव तक बिजली पहुंची है जिसके चलते घर–घर में फ्रिज, टी.वी. और अन्य सुख–सुविधाएं पहुंच रही हैं। गांव–गांव पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए बेरोजगारी कम हुई है जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सामाजिक दृष्टि से भी गांवों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साक्षरता बढ़ने से ग्रामीण जागरूक हुए हैं और उनमें रूढ़िवादिता कम हुई है जिसके चलते बाल विवाह कम हुए हैं, सती प्रथा खत्म हुई है। साथ ही सरकार के संरक्षण तथा आम जन की जागरुकता के चलते छूआछूत प्रथा समाप्त हुई है, जात–पात का भेदभाव कम हुआ है और पिछड़ी जातियों की ताकत बढ़ी है। अब करीब एक हजार गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना गया है। इससे गांवों की स्थिति में और सुधार होगा।

आज गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। पहले लाखों लोग विभिन्न महामारियों से दम तोड़ देते थे लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देश से चेचक, पोलियो सहित कई बीमारियों का सफाया हो चुका है। कुष्ठ रोगी लगातार घट रहे हैं। जीवन प्रत्याशा जो 1947 में 32 वर्ष थी, अब बढ़कर 66 वर्ष तक पहुंच चुकी है। पहले गांवों में स्कूल तक नहीं थे और अब डिग्री कालेज तक खुल गए हैं। आज हर गांव में सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और हर दो किलोमीटर पर इंटर–कालेज भी खुल गए हैं। महिला साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। जैसे–जैसे गांवों का विकास हुआ है, महिलाओं की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। यही नहीं महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी मिले हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं जो उनके समाज में बढ़ते कद की प्रतीति कराता है।

गांवों में भू सुधार कार्यक्रम लागू होने से किसानों की स्थिति सुधरी है। जहां जमींदारी प्रथा खत्म हुई वहीं भू–जोतों की अधिकतम सीमा तय होने से काश्तकारों की सुरक्षा का भी इंतजाम हुआ। यूं तो सरकार की ओर से कृषि एवं किसानों की दशा सुधारने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं किंतु इनमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना मील का पत्थर साबित हुई हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए भी किसानों और आम ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों की वास्तविक आय यदि बढ़ी तो कृषि विकास का रास्ता स्वतः ही तैयार हो जाएगा। अगर देश के किसान खुशहाल होंगे तो पूरा देश खुशहाल होगा। अंततः देश का भविष्य एक मजबूत कृषि उत्पाद प्रबंधन की श्रेष्ठ तकनीकों एवं बेहतर जननीतियों के सशक्त तालमेल से ही हासिल किया जा सकता है।

भारतीय गांवों की बदलती तस्वीर

प्रो. रतन लाल गोदारा
सौरभ कटारिया

आज की युवा एवं किशोर पीढ़ी को यदि यह बताया जाए कि आज से 30–35 वर्ष पूर्व भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की रोटी खाना बच्चों का एक स्वप्न हुआ करता था, तो शायद ही वे इसे सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। साथ ही यह कि सीमेंट का एक कट्टा या एक क्विंटल चीनी की बोरी खरीदने हेतु तहसीलदार से अनुमति लेनी भी आवश्यक होती थी। स्पष्ट है निर्धन, निरक्षर, शोषित तथा सदियों से गुलामी के परिवेश में जीवन काट रहे ग्रामवासियों के लिए समस्याएं इससे भी अधिक व भयावह थी। 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात् हमने अपना संविधान निर्मित कर 26 जनवरी, 1950 को भारत को गणराज्य, अर्थात् लोकतांत्रिक, सम्प्रभुतासम्पन्न तथा कल्याणकारी राज्य घोषित किया और एक आम भारतीय की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर उसके सुखद भविष्य की नींव रखी। भारतीय गणतंत्र की इस छह दशकीय यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सभी दृष्टि से उत्थान हुआ है। यद्यपि अभी भी देश में निरक्षरता, निर्धनता, शोषण एवं निम्न स्वास्थ्य की समस्याएं विद्यमान हैं तथापि देश भर में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों को नकारा नहीं जा सकता है।

स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव

उपनिवेशवाद एवं राजशाही से मुक्ति

स्वतंत्र भारत में "लोकतंत्र की स्थापना" तथा मानवाधिकारों का संरक्षण किसी क्रांति से कम नहीं है क्योंकि भारत की स्वतंत्रता तक विदेशी शासक एवं रजवाड़े, दोनों प्रकार की शोषणकारी शक्तियां विद्यमान थी। आज भारतीय गणतंत्र में न तो राजे–महाराजे दिखाई देते हैं और न ही गुलामी का प्रसार करने वाले विदेशी आक्रमणकारी। स्थिति यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने का गौरव रखता है क्योंकि संसद, विधानसभा से लेकर ग्राम पंचायतों तक भारतीय जनता 31 लाख जन प्रतिनिधि चुनती है। इनमें 40 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं होती हैं। सदियों तक विभिन्न प्रकार की संस्कृति वाले आततायी शासकों के अधीन रहे भारतीयों के लिए स्वतंत्रता तथा गणराज्य की स्थापना दोनों ही किसी सुखद बयार से कम नहीं हैं।

स्वतंत्रता के समय राजस्थान पूर्व में राजपूताना की 22 देशी रियासतों सहित देश में 552 रजवाड़े प्रवर्तित थे। इस प्रकार हम 15 अगस्त, 1947 को न केवल अंग्रेजों से बल्कि राजाओं की निरंकुशता से भी आजाद हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय गणतंत्र की एक बड़ी सफलता भूमि सुधारों के सम्बन्ध में है। सन् 1950–60 के मध्य राज्य सरकारों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियम, भू–राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, जागीरदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम और हदबन्दी एवं चकबन्दी कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक न्याय एवं समानता के संवैधानिक आदर्शों को मूर्तरूप प्रदान किया गया है। परम्परागत, रूढ़िवादी तथा जातिवाद के चंगुल में रहे भारतीय सामन्तवादी समाज में ये सुधार लाना किसी भी स्थिति में सरल कार्य नहीं रहा है। भूमि–सुधारों से सम्बन्धित कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखकर यह संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सका है। इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि परम्परागत जमींदारी एवं सामन्तवादी प्रवृत्तियां समाप्त हुई तथा लोकतांत्रिक ढंग से पिछड़ी जातियों को सशक्त किया गया। भारतीय कृषि तथा गांवों को इन्हीं प्रयासों से एक नई दिशा एवं जीवन मिला।

कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में क्रांति

यद्यपि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय गांव आत्मनिर्भर माने जाते रहे हैं तथापि कटु यथार्थ यह भी रहा है कि मानसूनी बरसात पर आधारित खेती करने वाला किसान प्रायः सेठ–साहूकारों तथा प्रकृति की मार का शिकार होता रहता था। देश का बड़ा भू–भाग सूखे, अकाल, बाढ़ तथा महामारियों का शिकार होता था अतः बंधुआ मजदूरों तथा सीमान्त कृषकों को जीवनयापन में भारी कष्ट होता था। स्वतंत्रता के पश्चात की भारतीय उपलब्धियों में हरित–क्रांति की चर्चा अवश्य होती है। सन् 1950

में मात्र 5.8 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला तथा सन् 1968 तक प्रायः खाद्यान्न को आयात करने वाला भारत देश, आज अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है तथा 2400 करोड़ टन खाद्यान्न के साथ तेजी से बढ़ती जनसंख्या का पेट पालने में पूर्णतया सक्षम है। देश के सुरक्षित खाद्यान्न भण्डार इतने पर्याप्त हैं कि दो फसलों की पूर्ण बर्बादी पर भी नागरिकों को खाद्यान्न आपूर्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार 5 अरब पशुधन इसमें 29 करोड़ गाय हैं जो विश्व में सर्वाधिक हैं, के माध्यम से भी निर्धन परिवारों की आजीविका चल रही है। श्वेतक्रांति के पश्चात् 11 करोड़ टन दूध प्रतिदिन उत्पादन करने वाला भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। मत्स्य पालन में नीली क्रांति, तिलहन में वृद्धि हेतु पीली क्रांति, उर्वरकों हेतु भूरी क्रांति, अण्डा–मुर्गी हेतु रजत क्रांति तथा मांस एवं टमाटर के लिए लाल क्रांति इत्यादि को अब सामूहिक रूप से इन्द्रधनुषी क्रांति कहकर समग्र ग्रामीण विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसमें सेब उत्पादन हेतु सुनहरी क्रांति, झींगा उत्पादन हेतु गुलाबी क्रांति, मसाला उत्पादन हेतु बादामी क्रांति को भी सम्मिलित किया जा रहा है। रतनजोत इत्यादि भविष्य का ऊर्जा स्रोत मानते हुए देश के किसान ने कमर कसकर काली क्रांति का मार्ग स्वीकार किया है।

देश के कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में नाना प्रकार की भौगोलिक स्थितियां जैसे विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु एवं गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र तथा दक्षिणी प्रायद्वीप इत्यादि विद्यमान हैं। ऐसे में सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में विविधता लाना भी अपरिहार्य है। पहली पंचवर्षीय योजना में मात्र 2.25 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित थी जोकि बांध एवं नहरी परियोजनाओं के पश्चात् पांच गुना बढ़कर 10.3 करोड़ हेक्टेयर हो चुकी है। रासायनिक खाद, उन्नत बीज तथा कृषि यंत्रों का बढ़ता उत्पादन भारतीय किसान की आधुनिक सोच को प्रमाणित करते हैं। प्रयोगधर्मी किसानों ने भारत जैसे परम्परागत समाज में सब्जी, फल, पुष्प, मछली, मुर्गी, कपास तथा औषधीय पौधों का उत्पादन कर नयी सोच का परिचय दिया है।

विगत पांच–छः दशकों में भारतीय गांवों के सामाजिक विकास क्षेत्र अर्थात् मानव विकास सूचकांक में आए सुखद परिवर्तन भारतीय गणतंत्र की सफलता की कहानी कहते हैं। लगभग तीन चौथाई जनसंख्या साक्षर हो चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान की सफल क्रियान्विति के पश्चात् अब प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाकर नयी भोर का उजाला आने वाला है। देश से चेचक, प्लेग, हैजा, कुष्ठ का सफाया हो चुका है। पोलियो पर नियंत्रण की स्थिति बन चुकी है। टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाया गया है तो परिवार नियोजन (भारत प्रथम देश हैं जिसने यह कार्यक्रम शुरू किया) कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या को एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मैला ढोने की प्रथा, सती प्रथा तथा विधवा विवाह की राह में बाधाएं दूर हुई हैं। अब छूआछूत की शिकार रही जातियों पर जुल्म करना उच्च वर्गों की मानसिकता नहीं है।

स्वतंत्र भारत के गांवों की बदलती तस्वीर

क्र. सं.	सूचक	कहां से चले (1950–51)	कहां पहुंचे (2008–09)
1	खाद्यान्न उत्पादन	5.8 करोड़ टन	2400 करोड़ टन
2	दुग्ध उत्पादन	1.7 करोड़ टन	11 करोड़ टन
3	अनाज उपलब्धता	395 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति	520 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
4	अण्डे उत्पादन	2 अरब	50.9 अरब
5	मछली उत्पादन	7.5 लाख टन	70 लाख टन
6	पुष्प उत्पादन	1.20 करोड़ टन	16.6 करोड़ टन
7	सब्जी उत्पादन	1 करोड़ टन	18 करोड़ टन
8	सिंचित क्षेत्र	2.25 करोड़ हेक्टेयर	10.3 करोड़ हेक्टेयर
9	फव्वारा सिंचाई	शून्य	3 लाख हेक्टेयर
10	रासायनिक खाद उत्पादन	1800 टन	3.6 करोड़ टन
11	पंजीकृत वाहन	3 लाख	12 करोड़
12	सड़कें	4 लाख कि.मी.	33.3 लाख कि.मी.
13	डाक घर	23,344	1,55,800
14	विद्युत उत्पादन	1800 मेगावाट	130200 मेगावाट
15	विद्युत खपत प्रति व्यक्ति	15.55 किलोवाट घंटा	600 किलोवाट घण्टा
16	विद्युतकृत गांव	1500	5.20 लाख
17	टेलीफोन उपभोक्ता	11 लाख	30 करोड़
18	बैंक शाखाएं	6 हजार	70 हजार

आधारभूत संरचना विकास

आधुनिक युग में विकास का पहिया सड़कों, विद्युत तथा भारी उद्योगों के बल पर दौड़ता है। भारत के एक हजार आबादी वाले सभी गांव बारहमासी सड़कों से जुड़ चुके हैं। सन् 1950–51 में देश में मात्र 4 लाख कि.मी. सड़कें थी जो अब 33.3 लाख कि.मी. हो चुकी हैं। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक समूचा देश बड़े राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। इन महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं ने राह में आए गांवों की सूरत ही बदल दी है। विशेषतः बंजर भूमि क्षेत्रों से गुजरे राजमार्गों ने टायर पंक्चर, मोबाइल फोन, ठंडे पेय पदार्थों, होटल–ढाबों तथा अन्य कई प्रकार की दुकानों के अवसर उत्पन्न कर निर्धन ग्रामीणों को नया जीवन

दिया है। सन् 1950 में मात्र 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला भारत आज 1,30,200 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर संभवतः देश विद्युत मांग एवं आपूर्ति का अंतर समाप्त कर देगा। आज गांवों में लगभग एक लाख डाकघर तथा 50 हजार बैंक शाखाएं हैं। नरेगा जैसी बड़ी योजना का मजदूरी भुगतान डाकघरों या बैंकों के माध्यम से होने से मजदूर वर्ग की न केवल सोच बदली है बल्कि बचत प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। देश में इस समय लगभग 1.5 लाख कारखाने हैं जिनमें आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं तथा वे छह करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। 30 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ताओं वाला भारत आज दूरसंचार क्रांति में अग्रणी राष्ट्र है जहां प्रतिदिन 3 लाख नए मोबाइल कनेक्शन लिए जाते हैं।

पिछड़े वर्गों का राजनीतिक उदय

सदियों से वर्ण व्यवस्था तथा जातिगत आधारों पर शोषित, पीड़ित तथा दलित वर्गों को स्वतंत्रता के पश्चात् जो गरिमा एवं सम्मानित स्थान भारतीय समाज एवं राजनीति में प्राप्त हुआ है, वह प्रत्येक दृष्टि से भारतीय समाज की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि कही जाएगी। संविधान में प्रावधान करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय एवं प्रान्तीय लोक–सेवाओं में इन वर्गों हेतु स्थान आरक्षित कर इन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए गए हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु अपनाई गई आरक्षण पद्धति के माध्यम से विगत पांच दशकों में सामाजिक–राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों को राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है।

आज स्थिति यह बन गई है कि अखिल भारतीय स्तर से लेकर प्रान्तीय या स्थानीय निकायों की राजनीति तक, पिछड़े वर्गों की असीम शक्ति को प्राथमिक रूप से महत्व दिया जाता है। भारतीय राजनीति की धुरी बन चुके ये वर्ग सत्ता तथा राजनेताओं का भविष्य निर्धारित करने लगे हैं। देश की कोई भी लोकनीति, कानून, विकास कार्यक्रम या कल्याणकारी योजना इन वर्गों के हितों की रक्षा किए बिना निर्मित एवं संचालित नहीं हो सकती है। स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से सदियों से निरक्षरता, निर्धनता एवं शोषण से जूझ रहे पिछड़े वर्गों का सामाजिक–आर्थिक उत्थान भी सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संसद में सन् 2008 के परिसीमन के पश्चात् अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हेतु सीटों की संख्या क्रमशः 84 एवं 47 हो गई है जोकि पूर्व में 79 एवं 41 थी। स्पष्ट है इन वर्गों की जनसंख्या में अन्य वर्गों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।

महिला सशक्तिकरण

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा क्रमशः पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को न केवल संविधानिक स्तर दिया गया है बल्कि इन संस्थाओं को संरचनात्मक स्थायित्व भी प्राप्त हो चुका है। इन दोनों ही अधिनियमों के द्वारा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे ठेठ देहाती क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक शासन कार्यों और नीति–निर्णयन में महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के वैधानिक अवसर मिले हैं। आज स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु 33.33 प्रतिशत आरक्षित संस्थानों के विरुद्ध 40 प्रतिशत स्थानों पर महिलाएं निर्वाचित हो रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाएं घूंघट एवं परम्पराओं के पर्दे से बाहर आकर समाज को सफल नेतृत्व दे रही हैं। सन् 2009 से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं।

भारत जैसे परम्परागत, रूढ़िवादी तथा तुलनात्मक रूप से अधिक निरक्षर एवं निर्धन समाज में जहां पुरूषों का सदियों से वर्चस्व रहा है, में महिलाओं का राजनीतिक

सामाजिक क्षेत्र का विकास

क्र.सं.	सूचक	1950–51	2008–09
1	साक्षरता दर	18.33 प्रतिशत	73 प्रतिशत (अनुमान)
2	प्राथमिक विद्यालय	2.1 लाख	7.3 लाख
3	मिडिल एवं माध्यमिक विद्यालय	20 हजार	4.4 लाख
4	औसत आयु	32.4 वर्ष	64.7 वर्ष
5	जन्म दर	41.7 प्रति हजार	24.9 प्रति हजार
6	मृत्यु दर	22.8 प्रति हजार	8.1 प्रति हजार
7	शिशु मृत्यु दर	146 प्रति हजार	56 प्रति हजार
8	दम्पत्ति संरक्षण दर	10.4 हजार	49.3 प्रतिशत
9	चिकित्सालय	2694	37,000
10	औषधालय	5306	85,000
11	रोगी बिस्तर	1.17 लाख	16 लाख
12	डॉक्टर्स	61800	7.15 लाख
13	नर्सें एवं अन्य स्टाफ	18054	9.6 लाख
14	स्वास्थ्य केन्द्र	725	1.72लाख
15	प्रति व्यक्ति आय	255 रुपये	38084 रुपये

सशक्तिकरण होना बहुत सुखद परिवर्तन प्रतीत होता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका पर किए गए शोध सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष मिले हैं कि आम जन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक कुशल, ईमानदार, निष्पक्ष तथा संवेदनशील मानता है। यही कारण है कि महिलाएं अपने आरक्षित स्थानों के अतिरिक्त सामान्य सीटों पर भी जीत का परचम फहरा रही हैं। महिला प्रतिनिधित्व के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय, शिक्षण, स्वास्थ्य तथा पोषण जैसी मूलभूत सुविधाओं के प्रति चेतना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप "मानव विकास सूचकांक" में सकारात्मक सुधार परिलक्षित होने लगे हैं।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 6,38,596 गांव हैं जिनमें 5,93,731 बसे हुए तथा 44865 बिना बसावट के थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का 1 अप्रैल, 2008 से सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में विस्तार कर निर्धन एवं रोजगारविहीन व्यक्ति को असीम सम्बल प्रदान किया गया है। वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के गारंटीशुदा रोजगार देने वाली यह कानूनी योजना विश्व में एकमात्र सरकारी प्रयास है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यह आकलन है कि इसी योजना ने भारत को वैश्विक मन्दी से बचाया है। किसानों को ऋण माफी देकर भारत ने समाजवादी तथा कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रमाणित किया है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों तथा असीम प्रतिभाओं का धनी भारत विश्व को प्रशिक्षित तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराता है।

पश्चिमी देशों में भिखारियों, सपेरों तथा भूखे–नंगे नागरिकों के नाम से कुख्यात रहा भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला एक सशक्त राष्ट्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपनी समस्त तरक्की लोकतंत्र के माध्यम से की है वह भी असंख्य भीषण झंझावतों के बीच। क्या यह गर्व करने का विषय नहीं है?

(लेखक द्वय क्रमशः राजस्थान विश्वविद्यालय में ई.ए.एण्ड एफ.एस. के प्रोफेसर तथा आई.एच.एम., गुरदासपुर में सहायक व्याख्याता हैं।)
ई–मेल : saurabhkataria1987@gmail.com

बदलते गांव, उभरता देश

अखिलेश चन्द्र यादव

यदि गांवों के विकास की गति इसी तरह चलती रही तो सन् 2020 तक भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच होगा। जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ी, उसी अनुपात में संसाधन भी बढ़े हैं। हालांकि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे देश से बाल विवाह समेत तमाम कुरीतियों का नामोनिशान मिटता नजर आ रहा है। अब करीब एक हजार गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चुना गया है। इससे गांवों की स्थिति में और सुधार होगा। आजादी के बाद करीब 63 साल में सामाजिक–आर्थिक हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तात्पर्य यह है कि गांवों की तस्वीर बदल रही है। आइए, इस बदलती तस्वीर को देखते हैं उन बुजुर्गों की आंखों से जिन्होंने गुलाम देश और आजाद भारत को भी देखा है।

जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। यही वजह है कि 15 अगस्त, 2009 को लालकिले की प्राचीर से झंडारोहण करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर संकल्प लिया कि गांवों के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद देश को संवारने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भारत के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र में हमें विश्वमंच पर सीना तानकर खड़ा होना होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर हमें यह दिखाना होगा कि हम अन्य देशों की अपेक्षा सभी संसाधनों से सुसज्जित हैं। प्रधानमंत्री ने लघु एवं सीमांत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों से अपील की कि वे नई तकनीकें खोजें, जिससे हरितक्रांति का सपना पूरी तरह से साकार हो सके। उन्होंने विश्वास जताया था कि आगामी पांच वर्षों में हम कृषि में चार फीसदी सालाना विकास के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। वास्तव में आजादी के बाद भारत का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चूंकि भारत की ज्यादातर आबादी गांवों में बसती है इसलिए सरकार की यह कोशिश रही कि सबसे पहले गांवों का विकास किया जाना चाहिए। जब तक गांव और ग्रामीण खुश नहीं रहेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता है।

गत दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार की ओर से गांवों के विकास को प्राथमिकता दिए जाने के पीछे मूल मकसद देश का विकास है। सरकार की कोशिश है कि गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं हों। फिलहाल आजादी मिलने के करीब 63 साल बाद गांवों की तस्वीर एकदम बदल–सी गई है। छह दशक पहले के भारत और आज के भारत में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है। अब तो अर्थशास्त्रियों की ओर से यह भी कहा जाने लगा है कि यदि गांवों के विकास की गति इसी तरह चलती रही तो सन् 2020 तक भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच होगा। क्योंकि 2008 में यह साबित हो चुका है कि तेजी

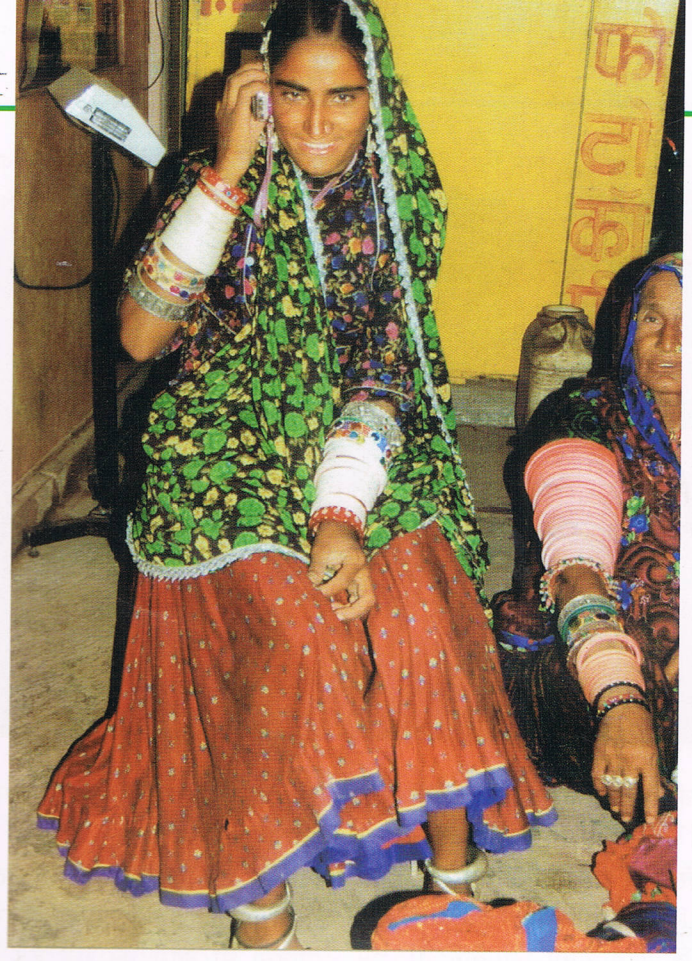

से बढ़ती अर्थव्यवस्था के मामले में चल रही दौड़ में भारत अब दूसरे स्थान पर है। अगर इसी तरह विकास की गति चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पहले स्थान पर होगा।

जब तक गांवों में रोजगार के साधन नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। खादी ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना सहित स्थानीय बैंकों की और से कृषि से जुड़े स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। इन सबके पीछे एक ही मकसद है कि गांवों का विकास हो। प्रमुख कृषि उत्पादों चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, जूट, चाय, गन्ना, आलू के उत्पादन के साथ ही पशुपालन एवं औद्योगिक खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुटीर उद्योगों के सरंक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब तो देश में मसालों की खेती के प्रति भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से बकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

किस तरह बदल रहे हैं हमारे गांव

संचार व्यवस्था

आजादी के बाद सबसे बड़ा कार्य संचार व्यवस्था को लेकर हुआ है। आज स्थिति यह है कि देश के करीब–करीब हर गांव में टेलीफोन पहुंच गया है। संचार क्रांति लाने का पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान विभिन्न देशों की संचार व्यवस्था को परखा और सैम पित्रोदा को भारत में भी संचार क्रांति लाने की जिम्मेदारी दी। वर्ष 2003 में हुए सर्वे में यह बात सामने आई कि अभी तक एक हजार लोगों पर मात्र 50 टेलीफोन उपभोक्ता हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में करीब–करीब हर परिवार में एक से दो मोबाइल जरूर हैं।

संचार क्रांति आने से गांवों में रोजगार के संसाधन बढ़े हैं। धर्मापुर के 65 वर्षीय बुजुर्ग लल्लन सिंह बताते हैं कि उनके परिवार के लोग कोलकाता में रहते थे। हालचाल संदेशे के लिए चिट्ठी ही सहारा थी। मां के मरने पर भाई को खबर देनी थी, ट्रंककाल भेजा गया, लेकिन संदेश मिलने में देरी हो गई। अब तो परिवार के हर लड़के के पास मोबाइल है। कुछ दिन पहले भी परिवार में घटना हुई। मोबाइल से तुरंत कोलकाता सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोलकाता में रहनेवाले घर के लिए रवाना हो गए और दूसरे दिन पहुंच गए। यह है प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में फर्क। वह कहते हैं कि अब तो गांव पूरी तरह से बदल गया है। आजादी के बाद उन्होंने जिस तरह का सपना देखा था वह जिंदा रहते हकीकत में बदलते देख रहे हैं। लल्लन की तरह ही अन्य बुजुर्ग भी संचार क्रांति को सबसे बड़ी तरक्की मान रहे हैं। उनका कहना है कि मोबाइल और टेलीफोन की व्यवस्था हो जाने से हर काम आसान हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक 98 फीसदी परिवारों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। फिलहाल गांवों में संचार सुविधाओं के आने के बाद और कई तरह की सुविधाओं को चार चांद लग गए हैं। अब गांवों में जगह–जगह साइबर कैफे खुल रहे हैं जहां से लोग आसानी से अपनी जरूरत की चीजों के बारे में जान सकते हैं। कृषि विकास के साथ ही अन्य क्षेत्रों के बारे में भी इंटरनेट का प्रयोग कर जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। इससे एक तरफ लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रोजगार मिल रहा है।

चुनौतियां : गांवों का विकास और तेज गति से हो, इसलिए संचार सेवा को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक्सचेंज से होने वाली गड़बड़ियां खत्म की जाएं। टावरों की संख्या बढ़ाई जाएं।

सड़क

केंद्र सरकार की ओर से गांव–गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मल्हनी के करीब 75 वर्षीय बुजुर्ग से जब देश के बदलते हालात के बारे में बात की गई तो उनकी आंखें भर आई। वह कहते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ, समस्याएं ही समस्याएं थी। कचहरी तक जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था। लेकिन अब सड़कें बन गई और संसाधन भी उपलब्ध हैं। किराए के वाहन के साथ ही घर में मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो गई है। वह

वाटरगन की फिटिंग करते हुए

सवाल करते हैं कि अगर सड़कें न बनी होती तो क्या यह सुविधाएं मिल पाती। वह बताते हैं कि पहले पगडंडियों का सहारा था। लोग बीमार होते तो चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते क्योंकि आने–जाने का साधन नहीं था।

इस तरह देखें तो आजादी के बाद गांवों का तेज गति से विकास हुआ है। भारत की तरक्की का आधारभूत ढांचा हैं सड़कें। गांवों में सड़कों का जाल बिछाने का सबसे अधिक श्रेय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को जाता है। इस योजना के लागू होने के बाद हर गली और हर गांव में सड़कों का जाल बिछ गया है। करीब एक हजार आबादी वाली बस्ती सड़क से जुड़ गई है। गांवों में सड़कें बन जाने से एक तरफ आवागमन की सुविधा मिल गई है वहीं रोजगार के संसाधन भी बढ़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सड़क न होने के कारण उन्हें पगडंडियों के सहारे आना–जाना पड़ता था। सबसे अधिक परेशानी बारिश के दिन में होती थी। बारिश में पगडंडियों पर साइकिल से कौन कहे, पैदल चलना भी दूभर था। लेकिन अब तो पक्की सड़क बन गई है। सड़क बनने से उसके दोनों तरफ जगह–जगह दुकानें खुल गई हैं। सारा सामान गांव में ही उपलब्ध हो गया है। केंद्र सरकार ने सड़कों को विकास का आधारभूत पैमाना माना। इस योजना की घोषणा 25 दिसंबर, 2002 को की गई। पहले एक हजार आबादी पर और 2007 में इसे पांच सौ की आबादी पर कर दिया है। यानी जहां भी पांच सौ से अधिक लोग रहते हैं, वहां इस योजना के तहत सड़क बनाई जाएगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2012 तक बाकी बचे हर ढाणी को सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

चुनौतियां : गांवों में सड़कें तो चमाचम बना दी गई हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार की भी शिकायत मिल रही है। सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। पुरानी सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए।

पानी

हमारे देश में पानी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो गई है। बड़ी–बड़ी नहरों से छोटी नहरें निकाली जा रही हैं। जिन स्थानों पर नहरों की व्यवस्था नहीं है, वहां ट्यूबवेल खुदवाए गए हैं। गांवों के विकास में सिंचाई को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार ने वर्ष 2008–09 में सिंचाई पर व्यय में 81 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर जल संरक्षण एवं पुनर्भरण योजना भी लागू की गई है।

इसके अलावा सरकार की ओर से निजी ट्यूबवेल लगाने वाले किसानों को सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। कृषक हेमंत सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपने दोनों चक्कों पर निजी ट्यूबवेल लगा रखा है। इससे सिंचाई की समस्या आड़े नहीं आ रही है। जब फसल को भरपूर पानी मिल रहा है तो उपज में बढ़ोतरी होना लाजिमी है। इसी तरह पेयजल के लिए पहले कुएं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब हर दो–तीन परिवार पर एक इंडिया मार्क हैंडपंप लगा हुआ है। इस व्यवस्था से ग्रामीण इलाके में पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। इसके अलावा जलदाय एवं जलनिगम की ओर से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है।

चुनौतियां :– कई बार सिंचाई के समय किसानों को नहरों से पानी नहीं मिल पाता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। कई बार किसान पहले भरने के चक्कर में लड़ाई तक करते हैं। इसलिए कोशिश की जाए कि फसल को सिंचाई की जरूरत हो, उससे पहले ही नहर में पानी आ जाए। नहरों में पानी की आपूर्ति और उसके संरक्षण का इंतजाम हो। पेयजल व्यवस्था और दुरुस्त हो, साथ ही दूषित पानी की शिकायत दूर की जाए।

स्वास्थ्य संरक्षण

आजादी के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं में काफी विस्तार हुआ है। करीब–करीब हर राज्य में न सिर्फ सरकारी चिकित्सालयों की स्थिति सुधरी है बल्कि वहां पर्याप्त स्टॉफ की भी व्यवस्था हो गई

है। सरकारी चिकित्सालयों में अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिल रही हैं। 12 अप्रैल, 2005 से शुरू किए गए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का जाल बिछा दिया गया है। हर गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी मिलती रहती है। मिशन के कार्यों को देखते हुए इसे और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यही वजह है कि वर्ष 2009–2010 के अंतरिम बजट में आवंटन राशि बढ़ाकर 12,070 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे पहले वर्ष 2008–09 में यह राशि 12,050 करोड़ रुपये थी।

इसके अलावा पल्स पोलियो सहित विभिन्न तरह के अभियानों के जरिए भी लोगों को रोगों से बचाव एवं उसके टीके के बारे में जानकारी दी जा रही है। पहले टीबी, पोलियो, आदि से बचाव के संसाधन उपलबध नहीं थे। ऐसे में लाखों लोग विभिन्न माहमारियों से दम तोड़ देते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। वर्ष 1947 में जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष से बढ़कर 66 वर्ष पहुंच चुकी है। शिशु मृत्युदर में करीब 70 फीसदी की गिरावट आई है। देश से चेचक, पोलियो सहित कई बीमारियों का सफाया हो चुका है। कुष्ठ रोगी लगातार घट रहे हैं। मलेरिया से अब 20 लाख में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत होती है। टीबी पर नियंत्रण पा लिया गया है। लोगों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सरकार की ओर से विशेष पहल की जा रही है। बुजुर्ग धनराजी देवी बताती है कि उनके चार बच्चों ने चेचक की बीमारी में दम तोड़ दिया था। पहले चेचक का प्रकोप बहुत तेज होता था। जिस गांव में चेचक का प्रकोप होता, पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। अगर किसी को पता चल जाता कि फलां गांव में चेचक है तो वह उस गांव में आने से पहले ही लौट जाता। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है अब चेचक के टीके आ गए हैं। वह सरकार को बधाई देती हैं। और कहती हैं कि इसी तरह तरक्की होती रही तो अब कोई बेमौत मरने नहीं पाएगा। वह बताती हैं कि पहले बीमार होने पर लोगों को दवा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब तो गांव में ही सरकारी चिकित्सालय है। जहां सुबह और शाम को डाक्टर मिल जाते हैं और दवा भी मुफ्त में मिलती है।

बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए अभियान चलाने के साथ ही अब तो दोपहर भोजन की भी व्यवस्था की गई है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषाहार भी दिया जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही अलग से ग्रामीण डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया इसकी तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत हर राज्य से 50 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिन्हें एमबीबीएस (ग्रामीण) कहा जाएगा। ये कम से कम 10 साल तक गांवों में तैनात रहेंगे। इससे गांवों की सेहत में काफी सुधार होगा।

चुनौतियां : जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहल और तेज करने के साथ ही मातृ–शिशु मृत्युदर को शून्य पर लाने का प्रयास। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को और व्यवस्थित करना। एलोपैथ के साथ ही आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सालयों को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना। महिला–पुरुष अनुपात को बराबर करना होगा। क्योंकि अभी तक हमारे देश में एक हजार पुरुषों पर करीब 973 महिलाएं हैं।

बिजली

अब शहरों की तरह गांवों में चारों तरफ बिजली उपलब्ध हो गई है। इसका पूरा श्रेय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को जाता है। इस योजना के लागू होने के बाद गांव–गांव में बिजली कनेक्शन पहुंच गए हैं। पहले ढेबरी व लालटेन का ही सहारा होता था। अगर कहीं बिजली थी तो वह गांवों में लगे पंपसेटों पर। लेकिन अब गांवों में बिजली से चलने वाले अन्य संसाधन भी मौजूद हैं। पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज सहित सुख–सुविधा के अन्य संसाधन हर घर में मौजूद हैं। करीब 78 वर्ष के रामलौटन सिंह बताते हैं–जब देश आजाद हुआ, उस वक्त बिजली की व्यवस्था शहरों तक सीमित थी। शाम होते ही गांवों में घना अंधेरा छा जाता था। वर्ष 1967 में उन्होंने पंपसेट के लिए बिजली का कनेक्शन लिया। इसके बाद गांव में बिजली के तार प्रवेश किए। उनके पंपसेट पर ही ट्रांसफार्मर लगा। फिर भी सिर्फ पंपसेट पर

ही एक बल्ब जलता था। बस्ती में तार नहीं पहुंचे। सन् 1970 में रामकृपाल सिंह ने भी बिजली का कनेक्शन लिया और पंपसेट लगवाया। इसके बाद अन्य लोगों ने एक–एक करके पंपसेट लगवाना शुरू किया। तब और अब के गांव में बड़ा अंतर है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन सभी सुविधाओं को देख लिया, जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अब हमारे घर में न सिर्फ ट्यूबलाइट की चांदनी रहती है बल्कि टीवी, कूलर आदि की सुविधा भी हो गई है। इन सुविधाओं को पहली बार मुंबई में एक सेठ के घर में देखा था। अब ऐसा लगता है कि मुंबई और हमारे गांव मे कोई अंतर नहीं है क्योंकि यहां मुंबई जैसी हर चीज है।

चुनौतियां : बिजली आपूर्ति को नियमित करना होगा। जरूरत के मुताबिक ही बिजली खर्च की जाए, इसके लिए लोगों को पाबंद करना। बिजली का दुरुपयोग पूरी तरह बंद हो।

शिक्षा व्यवस्था

आजादी के वक्त हमारे देश में शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए समय–समय पर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद एवं संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव अंबेडकर ने यह माना था कि शिक्षा के बिना लोगों का समुचित विकास नहीं हो सकता है। ज्योतिराव फुले एवं दक्षिण भारत के महान जननायक रामास्वामी पेरियार ने भी शिक्षा पर ही जोर दिया। विभिन्न समाजसेवकों की ओर से चलाए जाने वाले अभियानों में शिक्षा को मुख्य बिंदु माना गया। इस मुद्दे पर हर किसी की एक राय है कि शिक्षा के बिना देश व समाज का विकास नहीं हो सकता। यही वजह है कि भारत सरकार की हर कोशिश रही कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। कॉलेज खोलने वाली संस्थाओं को सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए करीब 82 वर्षीय हीरालाल यादव बताते हैं कि जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें करीब 12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उनके मूल गांव के आसपास करीब 10 किलोमीटर की परिधि में कोई इंटर कॉलेज नहीं था, लेकिन अब तो स्कूल ही स्कूल नजर आते हैं। हर गांव में जहां सरकार की ओर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहीं हर दो किलोमीटर पर इंटर–कॉलेज खुल गए हैं। अब तो डिग्री कालेज की भी व्यवस्था हो गई है। शिक्षण संस्थाओं के खुलने से गांवों का विकास हुआ है चूंकि गांवों में किताब–कापी की दुकानें खुली, लोगों को रोजगार मिला और लोगों में शिक्षा की ललक पैदा हुई। अब हर कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। ऐसे में लोगों का झुकाव बढ़ा है। पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोग छोटे–छोटे बच्चों को काम–धंधे पर लगा देते थे। हीरालाल बताते हैं कि उन्होंने कई बार अपने गांव में छोटे बच्चों को काम–धंधे पर लगाने से लोगों को मना किया। ऐसे में जवाब मिलता कि फीस और बच्चे के कपड़े का इंतजाम कहां से करें। बच्चा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? यही वजह थी कि छोटे बच्चों को दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भेज दिया जाता था। जहां से वे उम्र से पहले ही बुढ़ापा लेकर लौटते थे। क्योंकि वे पढ़ाई न कर पाने के साथ ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते थे। कुपोषण की वजह से। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। हर परिवार के बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

चुनौतियां : सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की भरमार है, लेकिन अभी भी शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है। अध्यापकों की निगरानी बढ़ाई जाए। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। विभिन्न परीक्षाओं में नकल कराने की प्रथा बंद की जाए। यानी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए।

कृषि क्षेत्र की सुदृढ़ता

आजादी के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार की ओर से किसानों को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही औद्योगिक खेती की ओर भी प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए फसल बीमा जैसी योजना चलाई जा रही है। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि हमारी उत्पादकता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न शोधों से यह बात सामने आई कि बागवानी के जरिए भी किसानों की दशा सुधारी जा सकती है। इसलिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी शुरू किया गया है। गांवों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार में यह मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि जब गांवों में बागवानी हुई तो उसके खरीददार बढ़े और माल को मंडी तक पहुंचाने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ी। मजदूरों की मांग बढ़ी। इस तरह राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कई लोगों को रोजगार मिला और गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई।

मिला किसान क्रेडिट कार्ड और बिकने से बचा खेत

किसानों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से उन्हें मजबूत करने का प्रयास किया गया। सरकार की ओर से किसानों की स्थिति सुधारने एवं नई व्यवस्था लागू करने के लिए नई–नई कमेटियां गठित की गई। इन कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर 1995 में फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके बाद सरकार ने योजना आयोग के सदस्य सोमपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। आयोग ने किसानों की हालत में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई। आयोग की ओर से सुझाए गए रास्ते के अनुरूप सरकार ने प्रयास किया और आज

किसानों के साथ ही गांवों की तस्वीर भी बदलने लगी है। दूसरी तरफ, सरकारी ओर से 4.50 करोड़ किसानों को ऋणमाफी दी गई। आजादी के बाद यह पहला प्रयास था, जिसमें हर किसान को फायदा मिला। कृषक शिवलाल कहते हैं कि उन्होंने यूनियन बैंक से कर्ज लिया था। खेती में घाटा लगने के कारण उनकी यह स्थिति नहीं थी कि कर्ज अदा कर सकें। ऐसे में वह कर्ज अदा करने के लिए खेत बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके खेत को बचा लिया है। इसी तरह करंजा कला के रामप्रसाद यादव बताते हैं कि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। क्योंकि वह मटर का खेत तैयार कर चुके थे और दुकानदार ने बीज एवं खाद देने से ऐन मौके पर मना कर दिया। वह एक सूदखोर के यहां ऋण लेने जा रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी ने उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। वह सीधे बैंक गए और पलभर में उनका किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया और पैसा भी। तुरंत दुकान से उन्नत किस्म का बीज ले आए और खाद भी। अब खेत में मटर बो दिया है। जैसे ही फसल आएगी बैंक का पैसा अदा कर देंगे। दरअसल किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार ने 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना तैयार की। सारी कवायद पूरी होने के बाद मार्च 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया गया। अब देश के करीब–करीब हर किसान के पास क्रेडिट कार्ड पहुंच गया है।

बैंकिंग सुविधाएं

पहले ग्रामीणों के लिए डाकघर एकमात्र विकल्प था। बैंक के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर से दो से तीन किमी. की परिधि में कोई न कोई बैंक मिल जाएगा। ऐसे में किसानों को बैंकिंग की सुविधा आसानी से मिल रही है। अब तो सामुदायिक अल्प–बचत समितियां भी गठित हो रही हैं। बैंकों की ओर से प्रेरित किए जाने के बाद गांवों में स्वयंसहायता समूह गठित हो रहे हैं। अगर हम ग्रामीण बैंकों की बात करें तो वर्ष 1975 में जहां सिर्फ 50 क्षेत्रीय बैंक थे, वहीं 1997 में इनकी संख्या 196 पहुंच गई। इस समय करीब ढाई सौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी विभिन्न शाखाओं के जरिए किसानों एवं आम ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं।

किसानों को मिले उनके खेत

पहले हर व्यक्ति के पास खेत नहीं हुआ करते थे। ऐसे में काश्तकार एक होता था और गांव के अन्य लोग मजदूर होते थे। देश आजाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह चिंता जताई थी कि जब तक भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं चलाए जाएंगे तब तक देश में खुशहाली नहीं आने पाएगी। वह जानते थे कि जब भूमि सुधार कार्यक्रम लागू होगा तो अधिक से अधिक अन्न उपजाने की ललक भी पैदा होगी। लंबे संघर्षों के बाद आखिरकार 1960 में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू हुआ। जमींदारी प्रथा खत्म हुई। भू–जोतों की अधिकतम सीमा तय की गई तो काश्तकारों की सुरक्षा का भी इंतजाम हुआ। चकबंदी का दौर शुरू हुआ इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरितक्रांति का नारा दिया जो निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 1962 में जहां भारत में खाद्यान्न उत्पादन 2.1 फीसदी था वहीं अब वर्ष 2003 में यह करीब तीन फीसदी पहुंच गया है।

भारत बना दूध का सबसे बड़ा उत्पादक

आजादी के बाद जिस तरह से संसाधनों का विकास हुआ, उसके चलते अब भारत दूध के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है क्योंकि पशुधन के मामले में भारत सबसे सुदृढ़ है। यहां पशुओं की संख्या करीब 193 करोड़ बताई जाती है। केला उत्पादन के मामले में भी भारत ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इसी तरह काजू, नारियल, चाय, अदरक, हल्दी और काली मिर्च आदि के मामले में यह दुनिया के उत्पादक देशों में दूसरे स्थान पर है, जबकि तंबाकू उत्पादक के रूप में तीसरे स्थान पर है। विश्व में भारत ने आटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास किया है। जाहिर–सी बात है कि यहां जिस गति से सड़कों का विकास हो रहा है उसी गति से आटोमोबाइल उद्योग बढ़ रहा है। भारत वाहन उद्योग का विश्व नेता है।

ताकि भूख से न होने पाए मौत

आजादी के बाद एक बार भुखमरी की समस्या तेजी से बढ़ी थी। तमाम ऐसे गांव थे, जहां भूख से लोग दम तोड़ देते थे। लेकिन सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक तरफ देश में उत्पादकता बढ़ाई गई, दूसरी तरफ सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई कि हर व्यक्ति को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध हो सके। सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वालों की संख्या निर्धारित की गई। वर्ष 1997 में की गई इस पहल से देश के गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया गया। इसी तरह वर्ष 2002 में खाद्यान्न बैंक की जरूरत महसूस की गई और 1100 करोड़ के अनाज इन बैंकों में रखे गए। सरकार की ओर से करीब एक हजार करोड़ रुपये का 10 लाख टन गेहूं और चावल निशुल्क वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया। इस समय गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों के परिवार को तीन रुपये प्रति किलो के मूल्य पर 25 किलो चावल एवं गेहूं हर महीने दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने महंगाई की मार से गरीबों को राहत देने का प्रयास किया है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई–मेल : acyjnp@gmail.com

शिक्षा ने बदली ग्रामीणों की सोच

कुसुमलता सिंह

आजादी के बाद देश का विकास तेजी से हुआ है। गांवों की तो मानो तस्वीर ही बदल गई है। विकास की इस दौड़ में सबसे अधिक फायदा आधी आबादी को मिला। जैसे–जैसे गांवों का विकास हुआ वैसे–वैसे महिलाओं को उनके अधिकार मिले। लोगों में जागरुकता आई और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता सिर्फ 8.9 थी, जो अब करीब 54 फीसदी है। आजादी के बाद चालू दशक ने कई इतिहास रचे। सच ही कहा गया है कि जैसे–जैसे लोगों में संपन्नता आती है वैसे–वैसे हमारी सोच में भी परिवर्तन आता है। निश्चित रूप से गांवों में जब संपन्नता आई तो हमारी सोच भी बदली। हम पर्दा प्रथा का मुकाबला करने को तैयार हैं। और अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो गए हैं। गांवों के विकास के साथ ही लोगों की सोच में भी प्रगतिशीलता आई है। जहां एक तरफ संयुक्त प्रगतिशील संगठन की अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया। वहीं विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर पहले से ही महिलाओं को जिम्मेदारी मिल चुकी है। स्थिति स्पष्ट है कि जब इन महिलाओं को जिम्मेदारी मिली तो अन्य लोगों में भी यह विश्वास पैदा हुआ कि महिलाएं चौका–बर्तन के अलावा अन्य जिम्मेदारी भी निभा सकती हैं। फिर एक के बाद एक पद पर महिलाओं को जिम्मेदारी मिलने लगी। प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की संख्या करीब 65 फीसदी से अधिक बताई जा रही है। पहले स्थिति यह थी कि तमाम बालिकाएं अल्पायु में ही बंधुआ मजदूर बन जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बालिकाएं स्कूल जा रही हैं और बड़ी होने पर अपने कैरियर का फैसला खुद कर रही हैं। जब इनके हाथ में किसी गांव को बदलने की जिम्मेदारी आती है तो वे उसी तरह निभाती हैं जैसे अपने परिवार को संवारती हैं।

पहले गांव में स्कूल तक नहीं थे, अब डिग्री कालेज खुल गए हैं। पहले बालकों को ही पढ़ाने भेजा जाता था अब बालिकाएं भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जैसे–जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वैसे–वैसे गांवों का हर तरह से विकास हो रहा है। सरकार का भी मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही जनता का विकास होगा इसलिए हर गांव और ढाणी में स्कूल खुल रहे हैं। इसका श्रेय काफी हद तक ग्रामीणों को भी जाता है। चूंकि वे न बदलते तो आधी आबादी को उसके अधिकार न मिल पाते।

आजादी के बाद की चुनौतियां

गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद देश के सामने कई चुनौतियां थी। गांवों में संसाधनों का अभाव था। अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी की लंबी फौज थी। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का सबसे बुरा हाल था। बालिकाओं को लोग स्कूल भेजना नहीं पसंद करते थे। देश आजाद होने के बाद पहली बार हुए सर्वे में यह बात सामने आई कि बालिका साक्षरता दर मात्र 8.9 फीसदी थी। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के स्कूल नामांकन की दर सिर्फ 4.6 फीसदी थी। लेकिन बदलते परिवेश में सब कुछ बदल गया है। आजादी के बाद महिलाओं को खुली हवा में न सिर्फ सांस लेने की आजादी मिली बल्कि अब तो वे पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर देश व समाज में बदलाव का आंदोलन चला रही हैं। हमारी सरकारें भी महिलाओं को आगे लाने में कोई कोर–कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। पंचायतों में जहां महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है वहीं विधानसभा एवं लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देने की पहल चल रही है। यह पहल अनायास ही नहीं है। चूंकि अब तक हुए सर्वे और विभिन्न तरह की आई रिपोर्टों में यह बात सामने आ चुकी है कि जिन स्थानों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला वे काफी कुशलता से अपने दायित्व का निवर्हन कर रही हैं। चूंकि शुरुआती दौर से ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि महिलाओं को चारदीवारी के अंदर बंद रखा गया, लेकिन अब उनमें जागरुकता आ गई है। वे घर से बाहर निकलकर न सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है बल्कि आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो गई हैं। अब राजनीति, प्रशासन, लेखन सहित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी न हो।

शिक्षा के प्रति जगाई अलख

ऐसे में सरकार महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने के प्रेरित कर रही है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा देने का प्रयास चल रहा है क्योंकि हमारी सरकार का यह मानना है कि जब तक सभी को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश व समाज का विकास नहीं हो सकता है। यही वजह है कि विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के अलावा जिन स्थानों पर महिला जनप्रतिनिधि हैं, वे खुद महिलाओं की शिक्षा को लेकर सचेत हैं। वे घर–घर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि बच्चियों को स्कूल जरूर भेजा जाए। सामाजिक संगठन से जुड़ी करीब 60 वर्षीय डा. सरिता बताती हैं कि उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय था। छात्र तो दूरदराज के स्कूलों में जाकर आगे की पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन बालिकाएं पांचवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। ज्यादातर अभिभावक बालिकाओं को दूर के स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। हमने प्रयास किया और विद्यालय आठवीं तक हो गया। किसी तरह गांव की बालिकाएं आठवीं तक पढ़ाई करने लगी लेकिन आगे की पढ़ाई की समस्या बनी रही। आठवीं तक पढ़ाई करने के बाद तमाम ऐसी छात्राएं थीं, जो आगे की पढ़ाई करना चाहती थीं लेकिन अभिभावक उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने को तैयार नहीं थे चूंकि हाईस्कूल और इंटर की पढ़ाई के लिए करीब आठ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ऐसे में हमने उन छात्राओं का चुनाव किया, जो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। इन बालिकाओं के अभिभावकों से बात की, लेकिन वे किसी भी कीमत पर अपनी बच्चियों को दूर के स्कूल में भेजने को तैयार नहीं थे। बड़ी मशक्कत एवं कई बार की समझाइश के बाद कुछ अभिभावक बच्चियों को दूर के स्कूल में भेजने के लिए तैयार हुए। कुछ समय बाद देखा–देखी अन्य बालिकाओं के अभिभावक भी स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए। चार साल बाद बालिकाओं ने इंटरमीडिएट तक तो पढ़ाई कर ली, लेकिन उच्च शिक्षा की समस्या फिर से खड़ी हुई। चूंकि इसके लिए उन्हें जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता। इंटर तक जाते–जाते कुछ लड़कियों की शादी भी हो गई, जिसकी वजह से वे पढ़ाई छोड़कर घर–गृहस्थी में जुट गई, लेकिन सात छात्राएं ऐसी थीं, जिनमें उच्च शिक्षा के प्रति ललक थी। इन छात्राओं ने संपर्क के दौरान अपने मन की बात बताई।

ऐसे में हमने इन छात्राओं के अभिभावकों से एक बार फिर बात की। उन्हें समझाया और वे आगे की पढ़ाई के लिए राजी हो गए। इस तरह एक छोटे से गांव से कम से कम सात छात्राएं ग्रेजुएशन तक पहुंच सकी हैं। यह तो डा. सरिता के गांव की

बात थी। उनके समझाने–बुझाने से गांव की छात्राएं पढ़ाई कर पाई। करीब–करीब यही हाल पूरे देश का है। लेकिन अब बदलते परिवेश में लोगों में जागरुकता आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंत्री की ओर से घोषणा की गई है कि बालिका शिक्षा में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। वर्ष 1990 के बाद स्कूलों में बालिकाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर आजादी के दौरान की स्थिति देखे तो वर्ष 1950–51 में मात्र 54 लाख लड़कियों का स्कूलों में नामांकन हुआ था, जबकि लड़कों की संख्या 138 लाख थी। बदलती तस्वीर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2005 में 6.11 करोड़ लड़कियों का नामांकन हुआ। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का दाखिला मात्र 16.1 फीसदी था, लेकिन अब यह संख्या 44.4 फीसदी से अधिक पहुंच गई है। यानी हर लड़के की तरह ही हर लड़की ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है।

डा. सरिता की तरह ही जौंगीपुर की विमला भी हैं। वह बताती है कि जब वह स्नातक में दाखिल हुई तो परिवार के लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्नातक के बाद बीएड किया और गांव में ही विशिष्ट बीटीसी के तहत अध्यापिका हो गई हैं। सुबह–शाम घर–परिवार संभालती हैं और स्कूल के समय में स्कूल। उनके अध्यापिका होने के बाद गांव के लोगों मे जागरुकता आई। अब लोग अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाकर विमला की तरह ही अध्यापिका बनाना चाहते हैं। अब तो चंद कदम की दूरी पर डिग्री कालेज खुल गया है। डिग्री कालेज खुलने से समझे लें कि पूरे गांव का विकास हो गया है। अध्यापिका विमला की मानें तो एक डिग्री कालेज खुलने से आसपास की हजारों छात्राएं स्नातक तक शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। इस तरह देखा जाए तो हमारी सरकार लगातार शिक्षा के स्तर पर लोगों का विकास कर रही है। आजादी के करीब 63 वर्ष बाद गांवों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जैसे–जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वैसे–वैसे गांवों का रहन–सहन भी बदलने लगा है। इसका असर अब गांवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है।

गली–ढाणी खुले स्कूल

आजादी के बाद सरकार की ओर से शिक्षा की चुनौती को बहुत ही संजीदगी से लिया गया। सरकारों ने माना कि शिक्षा के विकास से ही देश व समाज का विकास होगा। इसलिए अन्य संसाधनों के साथ ही स्कूलों एवं स्कूलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। पहले जहां एक गांव में पांच से सात किलोमीटर की परिधि में एक स्कूल हुआ करता था। वहीं अब हर गांव और ढाणी में स्कूल मिल जाएंगे। प्राथमिक स्कूल तो एक किलोमीटर की परिधि में दो से तीन खुल गए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो आजादी के बाद वर्ष 1950–51 में देश में 2,09,671 प्राथमिक एवं 13,596 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। अब हर दो सौ की आबादी पर एक स्कूल है। विभिन्न राज्यों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। केंद्र सरकार की ओर से कुछ दिन पहले सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में रिक्त पदों को भरा जाए। उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई है। ये शिक्षामित्र स्कूल के बच्चों की संख्या के अनुरूप नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें मानदेय की व्यवस्था है। सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत उन्हें छात्रवृत्ति के अलावा किताबें एवं ड्रेस तक मुहैया कराई जा रही है। इस पूरी कवायद के पीछे एक ही मकसद है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए 'स्कूल चलो अभियान' सहित विभिन्न तरह से आयोजन किए जा रहे हैं। बच्चों से मजदूरी कराने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं। वर्ष 2004–05 में जहां अनुसूचित जाति की सिर्फ 80 फीसदी छात्राएं ही उच्च प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेती थी वहीं 2006–07 में यह आंकड़ा 83 फीसदी रहा और चालू वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 95 फीसदी के करीब पहुंच गया है।

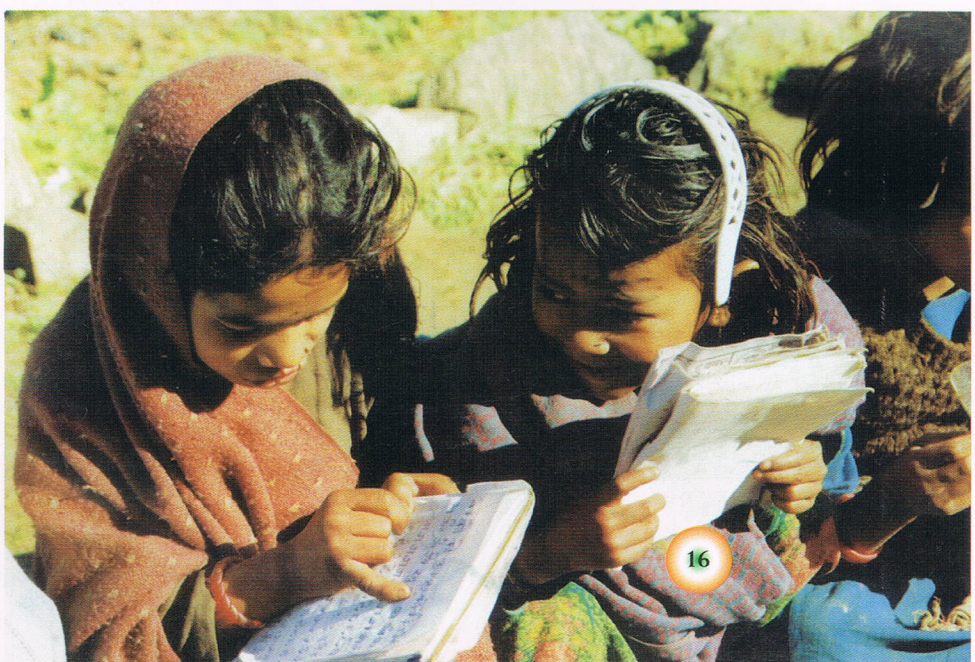

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रयास

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ढेर सारे प्रयास किए गए। वर्ष 1976 तक शिक्षा सिर्फ राज्य का विषय था। लेकिन संविधान के 42वें संशोधन में इसमें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका कर दी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा पर पर्याप्त बजट का प्रावधान किया। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। इसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर

दिया गया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा छह से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अधिवक्ता योगेश चंद्र का कहना है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने से काफी बदलाव आया है। विभिन्न सामाजिक संगठन इसके लिए मांग कर रहे थे। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने के बाद सरकार, समुदाय आधरित संगठन एवं सिविल सोसायटी शिक्षा के लिए अपने दायित्व का निवर्हन करने को विवश हो गई है।

विकास के साथ मिलने वाले अन्य फायदे

समौपुर की 65 वर्षीय रामराजी बताती हैं कि अब तो गांवों का नक्शा ही बदल गया है। अब क्या पुरुष क्या महिलाएं, सभी अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। अब सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब हर कोई काम कर सकता है। रामराजी की मानें तो उनकी दो बहुएं नरेगा के तहत गांव में ही मजदूरी करती हैं। वह बताती हैं कि पहले उन्हें दिनभर काम करने के एवज में पांच रुपये मिलते थे, लेकिन अब तो उनकी बहुओं को सौ रुपये तक मिलते हैं। वह घर में रहकर बच्चों को देखती हैं और उनकी बहुएं कमाऊ पूत बनी हुई हैं। इसी तरह तमाम महिलाएं हैं जो कम पढ़ी–लिखी हैं, लेकिन सरकार की ओर से चलने वाली विभिन्न योजनाओं के जरिए जीवकोपार्जन कर रही हैं। मोलनापुर की बिंदु को ही लें। वह कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र चलाती है। बिंदु बताती है कि उसके केंद्र पर 15 लड़कियां प्रशिक्षण ले रही हैं। पहले बैच में सात लड़कियों को प्रशिक्षण दिया था। अब एक रेडीमेड कंपनी से संपर्क किया है। और उसकी ओर से काम मिलने लगा है। बस यहां ट्रेंड होने वाली लड़कियां आती हैं और दिनभर काम करने के बाद शाम को घर लौट जाती हैं। वे दिनभर में कम से कम डेढ़ सौ रुपये तक आसानी से कमा लेती हैं।

विकास के साथ सामाजिक संरक्षण भी

आजादी के छह दशक बाद जिस तरह से विकास हुआ उसी तरह महिलाओं को सामाजिक संरक्षण भी मिलने लगा है। वे अब अबला न होकर सबला का जीवन जी रही हैं, क्योंकि सारे संसाधन मौजूद हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर फोन, मोबाइल आदि के जरिए संदेश का आदान–प्रदान कर लेती हैं।

संसाधनों का विकास होने के कारण वे हाट, बाजार आसानी से जा रही हैं। इस तरह वे परिवार की समस्याओं का आसानी से निस्तारण कर लेती हैं और सभी की चहेती बनी हुई हैं। रूढ़िवादिता के कारण पहले बहू और बेटी में फर्क महसूस किया जाता था, लेकिन अब बेटी और बहू एक जैसी हो गई हैं। एक गृहिणी के रूप में महिलाएं अपने परिवार के विभिन्न निर्णयों में भागीदारी निभा रही हैं। कठार गांव की सविता सिंह बताती हैं कि वह हमेशा वाराणसी में रहीं। वहां शहरी माहौल था। जब उनकी शादी हो रही थी तो मन मे तमाम तरह की शंकाएं थीं क्योंकि उन्हें गांव में रहना पड़ता। लेकिन जब गांव में आई तो उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई। क्योंकि गांव में भी पक्की सड़क है। बिजली के साधन हैं। बस कुछ पैसे खर्च कर शहरी सुख–सुविधाएं मिल गई। सविता बताती है कि एक बार उनकी सास की तबीयत खराब हुई। घर में कोई नहीं था। वे तुरंत अस्पताल गई और दवा ले आई। घर के पुरुषों को जैसे ही यह जानकारी मिली, मेरे प्रति लोगों का लगाव बढ़ गया। उन्हें यह भरोसा हो गया कि मैं घर में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका निस्तारण कर सकती हूं, लेकिन इसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है। यदि गांव में चिकित्सालय न होता तो मैं दवा कहां से ला पाती। अब गांव में पढ़ाई के लिए स्कूल मौजूद हैं। बिजली मौजूद है। बस सारे संसाधनों का सदुपयोग करने की जरुरत है।

इस तरह देखा जाए तो गांवों के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे–जैसे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरुकता आई, उसी गति से गांवों का विकास हुआ। गांवों के विकास के साथ ही समाज और देश का विकास हुआ। शिक्षा ही विकास की कुंजी है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं।

(लेखिका पेशे से अध्यापिका रही हैं। अब विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं।)

ईमेल : kusumalata.kathar@gmail.com

स्वास्थ्य, सूचना और रोजगार से ग्रामीण विकास

संतोष कुमार सिंह

केंद्र सरकार ने एक गतिशील समाज के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एवं सूचना के अधिकार को क्रियान्वित किया है जिससे सशक्त भारत का निर्माण संभव हो सके। ये नीतियां भारत के सामाजिक परिवेश में उस ऊर्जा का संचार करेंगी जिससे विकास के पहिये को न केवल घुमाया जा सकेगा बल्कि उसकी गतिशीलता को भी तीव्र स्वरूप दिया जा सकेगा।

स्वतंत्रता की लम्बी लड़ाई लड़ने के पश्चात् भारत आजाद हुआ। यह आजादी मात्र राजनैतिक परिवर्तन के लिए नहीं लड़ी गई थी बल्कि इसका सरोकार शोषण से मुक्ति, भूख और गरीबी की समाप्ति, बीमारी, और बेकारी को तिलांजलि देने से था। उपनिवेशीय साम्राज्य के दौरान भारत जिस दरिद्रता को झेल रहा था, उन सभी का समाधान अपनी सरकार द्वारा ही सम्भव था। इसमें दो राय नहीं कि भारत ने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के उस पावन अवसर को प्राप्त कर लिया जिसकी हमें इच्छा थी। भारत राजनैतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र हो गया था परंतु सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में ऐसी कितनी ही समस्याएं आजादी के छह दशक बीतने के पश्चात् भी जस की तस बनी हुई हैं। बीमारी, बेकारी और सूचनाओं की जानकारी के अभाव में न तो कोई समाज आत्मनिर्भर बन सकता है और न ही अपने उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाएं समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई हैं किंतु बीमारी, बेकारी और सूचनाओं के अभाव की ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि इन तीनों के अभाव में गांवों का विकास सम्भव नहीं है जहां पर भारत की 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है। केंद्र सरकार ने एक गतिशील समाज के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एवं सूचना के अधिकार को क्रियान्वित किया है जिससे सशक्त भारत का निर्माण संभव हो सके। ये नीतियां भारत के सामाजिक परिवेश में उस ऊर्जा का संचार करेंगी जिससे विकास के पहिये को न केवल घुमाया जा सकेगा बल्कि उसकी गतिशीलता को भी तीव्र स्वरूप दिया जा

सकेगा। यहां इन तीनों योजनाओं का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

देश की जनसंख्या प्रणाली को सुधारे बिना हम स्वस्थ नागरिकों का निर्माण नहीं कर सकते। गुणवत्ता प्रधान विचारों का आधार भी इसी पर निर्भर करता है कि देश विशेष में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा है और सरकार द्वारा इन सुविधाओं के प्रति सुरक्षा की गारन्टी कैसी है। काफी समय पहले प्लेटो जैसे दार्शनिक ने कहा था कि "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है।" भारत की केंद्र सरकार इसी उक्ति को धरातलीय सच्चाई पर लाने का प्रयास कर रही है। यद्यपि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है किन्तु इसके अभाव में देश अपने विकास के न तो मात्रात्मक और न ही गुणात्मक स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस मिशन में धन आड़े न आ पाए इसलिए केन्द्र सरकार ने समय–समय पर पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। वर्ष 2006–07 में 8207 करोड़ रुपये, 2007–08 में 9947 करोड़ रुपये, 2008–09 में 1250 करोड़ रुपये और 2009–10 के लिए 1270 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य पूरे देश की ग्रामीण जनसंख्या, विशेषकर 18 उन राज्यों के लोगों को जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का ढांचा बहुत ही कमजोर है, वहां इस मिशन के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये राज्य हैं– अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश नगालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश।

इस मिशन की अवधि (2005–2012) के इन सात वर्षों में योजना खर्च की आवंटित धनराशि को देश के सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत से लगभग 3 प्रतिशत तक ले जाने का है। कार्यक्रम के अंतर्गत जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उपलब्धता पर विशेष बल दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता और जवाबदेही को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष कर समाज के कमजोर एवं निर्धन वर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता, पोषणीय भोजन, और स्वच्छ पेयजल के मध्य अंतरसम्बन्धों को विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ संसाधनों में वृद्धि और उन्हें आपस में जोड़कर संरचनात्मक बुनियादी ढांचे में समन्वय करते हुए चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों ऐलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी द्वारा कार्यक्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि चिकित्सा सम्बन्धी किसी न किसी पद्धति से देश का प्रत्येक क्षेत्र लाभान्वित होगा।

इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता "आशा" की नियुक्ति की गई है। इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रेरणा देना है। आशा कार्यकर्ता का कार्य व्यापक रोग प्रतिरक्षण, सुरक्षित प्रसव, नवजातों की देखभाल, जलजनित तथा

संचारी रोगों के निवारण और घरेलू शौचालय के सवंर्धन के लिए सामुदायिक कार्यवाही द्वारा ग्रामीणों की बीच जागरुकता फैलाना है। भारत के 10 पिछड़े राज्यों में आशा की नियुक्ति की गई है– उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ झारखण्ड, राजस्थान, असम, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश और जम्मू व कश्मीर। प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। जनजातीय, पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस मानक में छूट दी गई है। वर्ष 2008 तक 6.48 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण भारत की जन सामान्य की स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ा गया है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि आशा संगठन स्वास्थ्य संरक्षण व्यवस्था में सफल परिवर्तन की दिशा में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतंर्गत 108 नम्बर की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्गम और दूरदराज के गांवों में तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हमें केवल 108 नम्बर पर अपने टेलीफोन या मोबाइल से डॉयल कर मरीज की स्थिति और स्थान को बताना होता है। थोड़े ही समय में 108 नम्बर की आपातकालीन एम्बुलेन्स आकर मरीज को निकट के अस्पताल में पहुंचाती है। अगर मरीज की स्थिति ज्यादा ही नाजुक है तो उसे उस अस्पताल में पहुंचाया जाता है जहां पर मरीज को समुचित चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, जिससे उसके जीवन को बचाया जा सके। अतः 108 नम्बर की आपातकालीन सेवाओं के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक उद्देश्य ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए जनसंख्या मानकों के अनुसार उन सुविधाओं में वृद्धि करना है जो लगभग 50 प्रतिशत मानकों से पीछे हैं। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और सेवाओं में तीव्र गुणात्मकता लाने के लिए कई क्षेत्रों में निजी उपक्रमों की सहायता भी ली जा रही है। इस सम्पूर्ण मिशन को निर्देशित करने का कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित संचालन समूह के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के 10 प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इस मिशन में सबसे महत्वूपर्ण भूमिका पंचायत राज संस्थाओं की है। उनकी कार्यशैली पर ही इस मिशन की सफलता निर्भर करती है। चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाईयों की आपूर्ति एवं वितरण, सामूहिक टीकाकरण और मोबाइल चिकित्सा की उपलब्धता इस मिशन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी किन्तु सरकार की इच्छाशक्ति पर विश्वास किया जाए तो निश्चित रूप से भारत ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहा है जहां चिकित्सकों, दवाओं और उपकरणों के अभाव में लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समाज बीमारियों के चलते अक्षमता का प्रतीक नहीं बन पाएगा और स्वस्थ भारत का प्रतिबिम्ब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आईने में साफ और स्वच्छ नजर आएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

देश की आजादी के पश्चात् यदि सरकार के किसी एक कदम को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप इस योजना का बनना उन करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो काम की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। रोजी–रोटी की समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। यह गरीबी का अभिशाप है, जिससे अब मुक्ति मिलने के मार्ग तलाश

लिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (नरेगा) 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था और इस योजना का विधिवत शुभारम्भ केंद्र सरकार द्वारा 2 फरवरी, 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से हुआ। यह वही गांव है जहां ऋणों के बोझ से हजारों किसानों ने निराशापूर्ण जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्याएं की थी। किसानों, बेरोजगारों और गरीबी के जीवन की इसी बिडम्बना को समझते हुए तथा जीवन को आशापूर्ण बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन का संकल्प लिया। अपने क्रियान्वयन के प्रथम चरण में यह योजना देश के 200 जिलों में शुरू की गई थी। वर्ष 2007–08 में केंद्र सरकार द्वारा इसका विस्तार देश के 330 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया जबकि शेष जिलों को इसमें शामिल करने की अधिसूचना एक अप्रैल, 2008 को जारी की गई। इस प्रकार यह योजना भारत के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा चुकी है। समय–समय पर केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। वर्ष 2006–07 में 11,300 करोड़ रुपये, 2007–08 में 12,000 करोड़ रुपये, 2008–09 में 16,000 करोड़ रुपये और 2009–10 के लिए 30,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत 138.76 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार सृजित किया गया था और इसके दायरे में 3.15 करोड़ घर थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निम्न विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है–

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों में से एक को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है।
- इस योजना में एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है जिसमें मजदूरी के दिन और भुगतान का अंकन किया जाता है। यह जॉब कार्ड 5 वर्ष तक मान्य रहेगा।
- योजना के अन्तर्गत प्रति मानव दिवस श्रम के लिए भुगतान राशि 60 रु. प्रतिदिन निधारित की गई थी किन्तु वर्तमान में इसे बढ़ाकर 73 रु. प्रतिदिन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी की दरों से यह भुगतान राशि किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जा सकती है।
- योजना के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण ग्राम पंचायतों के द्वारा कराएंगे और 15 दिनों के अंदर रोज़गार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार हो जाएंगे।
- योजना में इस बात का भी प्रावधान है कि मजदूरों को रोजगार के अवसर 5 किमी. के दायरे में दिए जाएंगे। दूरी के अधिक होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण ग्राम पंचायतों के द्वारा कराएंगे और 15 दिनों के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार हो जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत कार्य मांगने वाला व्यक्ति लगातार 14 दिनों तक काम करने का हकदार होगा तथा एक सप्ताह में 6 से ज्यादा कार्य दिवस नहीं होंगे।
- कार्यस्थल पर पीने के लिए स्वच्छ पानी, चिकित्सा व्यवस्था तथा बच्चों के लिए देखरेख की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
- कार्यस्थल पर दुर्घटना की अवस्था में श्रमिक के लिए दवाईयां तथा पूरा इलाज निःशुल्क करवाया जाएगा और जब तक श्रमिक पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए, मजदूरी दर का 50 प्रतिशत दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
- कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु या अपंगता हो जाने पर 25 हजार रुपये की अनुदान राशि सहायता के तौर पर दी जाएगी।
- रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों की संख्या में 1/3 भाग महिलाओं की अनिवार्यता और पुरुषों के समान मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था रखी गई है।
- रोजगार के ये अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जल–संरक्षण, सूखा राहत कार्य, वनीकरण, पौधारोपण, तालाबों और पोखरों की सफाई, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, नाली–खडंजा निर्माण जैसे विकास के कार्य उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उपरोक्त विशेषताओं को समेटे हुए ऐसा कार्यक्रम है जो गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है और यदि ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा और समयबद्धता से इसका संचालन होता रहा तो वर्ष 2020 तक न केवल विज़न 2020 का सपना साकार होगा बल्कि गरीबी रेखा जैसे मानक को भारतीय समाज से मिटाने में मदद मिलेगी। इसके पश्चात् आय में वृद्धि और रहन–सहन का स्तर ऊंचा होगा जिससे भारत गरीबी और बेकारी से हमेशा–हमेशा के लिए मुक्ति पा सकेगा।

सूचना का अधिकार

कहते हैं कि जिस समाज में नए प्रश्नों के लिए जगह नहीं होती वह समाज मृतप्रायः हो जाता है। किसी लोकतांत्रिक समाज में लोगों को अपने विकास से सम्बन्धित प्रश्न पूछने का हक होना चाहिए, अन्यथा सरकार की योजनाएं सहभागिता के अभाव में केवल फाईलों में गुमनाम होकर रह जाएंगी। किसी योजना की सफलता न केवल समाज की सहभागिता पर निर्भर

करती है बल्कि सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर भी निर्भर करती है। इस पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए सूचना के अधिकार को 12 अक्टूबर, 2005 को केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। आम जनता को दिए गए इस अधिकार को ऐसे ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी जा रही है जिसकी अचूक मारक क्षमता से न केवल भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि शासन के स्वरूप को पारदर्शिता के नये स्वरूप में ढाला जा सकेगा। सूचना का यह अधिकार "गुड गर्वनैंस" लाने में योगदान दे रहा है। लोग इस अधिकार से अपने से सम्बन्धित योजनाओं, कार्यक्रमों और समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सूचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप पर दस रुपये शुल्क के साथ सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर के विभागों में सूचना अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं या किसी अन्य अधिकारी को इस दायित्व का प्रभार सौंपने की व्यवस्था की है। नियुक्त नामित या प्रभारी अधिकारियों को एक आम आदमी द्वारा प्रार्थना–पत्र देने के 30 दिनों के भीतर चाही गई सूचना उपलब्ध करना अनिवार्य कर दिया गया है। निश्चित समय पर सूचना के उपलब्ध न कराने या विलम्ब करने की स्थिति में 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो सम्बन्धित अधिकारी से वसूला जाएगा। साथ ही साथ निलम्बन की कार्यवाही भी की जा सकती है। सरकारी विभागों और विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा उत्तरदायित्व, जनसहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार एक आंदोलन साबित हो रहा है। इसके अपवाद के रूप में उन विभागों की सूचनाएं सार्वजनिक न करने का प्रावधान है जो सामरिक महत्व की हो अथवा जिन विभागों की सूचनाओं से देश की एकता और अखण्डता को हानि पहुंचती हो। इसके बावजूद भी इस अधिकार का महत्व कम नहीं हो जाता है। यह अधिकार सही मायनों में लोकतंत्र की बुनियाद और आस्था को मजबूत करने का ही एक क्रांतिकारी कदम है।

यद्यपि इस सूचना के अधिकार के लागू होने के तीन वर्ष पश्चात् भी प्रशासनिक दृष्टिकोण पशोपेश की स्थिति में नजर आता है। दूसरी ओर, जन सामान्य का बड़ा भाग जागरुकता की कमी और शिक्षा के अभाव में उचित सूचनाएं हासिल करने के बजाए कई मामलों में शासन–प्रशासन को परेशान करने की मंशा में नजर आता है। इन पहलुओं से तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। समय बीतने और अनुभव बढ़ने के साथ–साथ लोग जागरूक भी होंगे तथा इस अधिकार के इस्तेमाल के ढंग से परिचित भी। राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ–साथ प्रशासनिक विभागों के पदाधिकारियों को चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर सूचना के अधिकार के इस्तेमाल सम्बन्धी सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर और वैचारिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, विशेषकर पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं के स्तर पर। चूंकि भारत की 70 फीसदी आबादी का सीधा सम्बन्ध पंचायती राज संस्थाओं से है। जब तक सूचना के अधिकार को इस वर्ग के साथ जोड़कर और अधिक प्रभावी नहीं बना दिया जाएगा तब तक देश पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों से नहीं जुड़ पाएगा। इस कार्य में मीडिया, गैर–सरकारी संगठन, शिक्षक व अधिवक्ता वर्ग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी तभी सूचना के अधिकार की सार्थकता नजर आएगी।

उपरोक्त तीनों योजनाओं पर दृष्टि डालें तो मानव जीवन की प्राथमिक और द्वितीयक आवश्यकताओं को पूर्ण करती ये योजनाएं सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी नजर आती हैं। बल्कि इनका प्रत्येक पहलू जीवन के अलग–अलग पक्ष को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। महत्वाकांक्षी योजनाओं का यह त्रिशंकु देश में शारीरिक क्षमता, जागरुकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का काम कर रहा है।

(लेखक उत्तराखण्ड, रुद्रप्रयाग के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं।)

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

पंजाब की फुलकारी शिल्पकला

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सहायता की मदद से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीबों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराना है।

फुलकारी कशीदाकारी पंजाबी संस्कृति का विशिष्ट पहलू है। फुलकारी का अर्थ है–फूलों की कढ़ाई। शालों और दुपट्टों को फूलों–बेलबूटों से सजाने वाली यह कला 15वीं सदी में विकसित हुई थी। पंजाब की महिलाएं फुलकारी का प्रयोग प्रायः अपने निजी इस्तेमाल के लिए करती हैं और यह पारिवारिक रिश्तों का प्रतीक बन चुकी है। इस प्रथा की शुरुआत एक युवती से हुई जो अपनी मां के काम में हाथ बंटाती थी और जिसने इस कशीदाकारी के साथ–साथ घर का कामकाज भी सीखा। जब उस कन्या का विवाह हुआ तो यह फुलकारी उसके दाज़ का हिस्सा बन गई। पुत्र को जन्म देने पर उसकी मां 'वरी दा बाग' तैयार करना शुरू करती है जिसे वह अपनी सबसे बड़ी बहू को उपहार स्वरूप देती है। समय के साथ–साथ फुलकारी पंजाब की महिलाओं के जीवन से गहराई से जुड़ गई। फुलकारी कशीदाकारी करने वाली युवतियों और महिलाओं द्वारा अपने सुख–दुख, आशाओं, सपनों और इच्छाओं को प्रायः इन कपड़ों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने लगा। कला–कौशल और तीव्र भावनाओं के इस अर्थपूर्ण संयोजन से कई लोक–गीतों का जन्म हुआ।

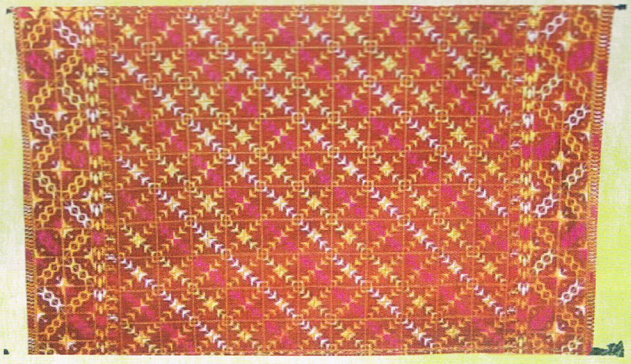

शिल्प

फुलकारी एक ही टांके से किया जाने वाला हस्तकौशल है जिसके द्वारा दिलचस्प नमूने बनाए जाते हैं। जितना छोटा टांका होगा, फुलकारी उतनी ही बेहतरीन मानी जाती है। कशीदाकारी के लिए प्रायः सुनहरे पीले, लाल, किरमिजी, नारंगी, हरा, नीले और गुलाबी रंग के रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक हिस्से को एक ही रंग में बनाया जाता है और आड़े–तिरछे, ऊपर–नीचे टांकों का कलात्मक प्रयोग करके विभिन्न रंगों के प्रभाव को उभारा जाता है। इस्तेमाल किए गए धागे पैट नामक रेशमी धागे होते हैं। विगत में रेशम के इन धागों को भारत के विभिन्न भागों जैसे कश्मीर एवं बंगाल तथा अफगानिस्तान एवं चीन से मंगाया जाता था।

इसमें मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाला कपड़ा खादी होता है, जिसे स्थानीय रूप से बुना या रंगा जाता है। यह मजबूत होता है, देर तक चलता है, सस्ता होता है तथा साथ ही सर्दियों के दौरान पहनने–ओढ़ने पर गरमाई देता है। इसके अलावा, मोटी बुनाई से धागों को गिनना आसान होता है। मोटा कपड़ा होने के कारण न तो यह सिकुड़ता है और न ही खींचता है तथा इसमें बिना फ्रेम लगाए कशीदाकारी भी की जा सकती है।

फुलकारी–विभिन्न अवसरों के लिए

विभिन्न धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर अलग–अलग फुलकारी शैलियों का प्रयोग किया जाता है। विवाह से पहले एक समारोह में दुल्हन को उसकी दादी द्वारा चोपा उपहार स्वरूप दिया जाता है। यह लाल रंग का कपड़ा होता है जिसके किनारों पर खूबसूरत कशीदाकारी की जाती है। वरी–दा–बाग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। यह लाल रंग का कपड़ा होता है जिस पर सुनहरे पीले रंग की कशीदाकारी की जाती है। घूंघट बाग या साड़ी पल्लू के सभी किनारों पर छोटा बार्डर होता है और इसका डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि ओढ़ने पर पूरा सिर ढक जाए। प्रत्येक किनारे के बीचोंबीच त्रिभुजाकार बेलबूटे काढ़े जाते हैं जो काफी उभारदार होते हैं; बावन बाग (पंजाबी में 52) में ज्यामितीय पैटर्न होते हैं। जब सिखों की पवित्र पुस्तक ग्रंथ साहिब को घर में लाया जाता है तो दर्शन द्वार का विशेष रूप से घरों की दीवारों या छत को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सुबेर फुलकारी वैवाहिक रीति–रिवाजों के दौरान दुल्हन द्वारा पहनी जाती हैं।

सरकार पंजाब के रचनात्मक और कुशल कारीगरों की इस शिल्पकला की भारत में विभिन्न स्थलों पर लगाए जाने वाले सरस मेलों में बिक्री करके उनकी मदद करती है। निचले स्तर पर अपनी व्यापक पहुंच का इस्तेमाल करके ग्रामीण विकास मंत्रालय कारीगरों और शिल्पकारों के हस्तशिल्प का विपणन करने में सहायता कर रहा है। शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने के अलावा, मंत्रालय पंजाब की कला और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों, शिल्प बाजारों और मेलों का आयोजन करता है। पंजाब सरकार के एम्पोरियम फुलकारी में देश की कशीदाकारी के इस रूप का उत्कृष्ट संग्रह मौजूद है। इनमें से अधिकांश विशेषकर मध्य–पूर्व को निर्यात किया जाता है।

(ग्रामीण भारत के सौजन्य से)

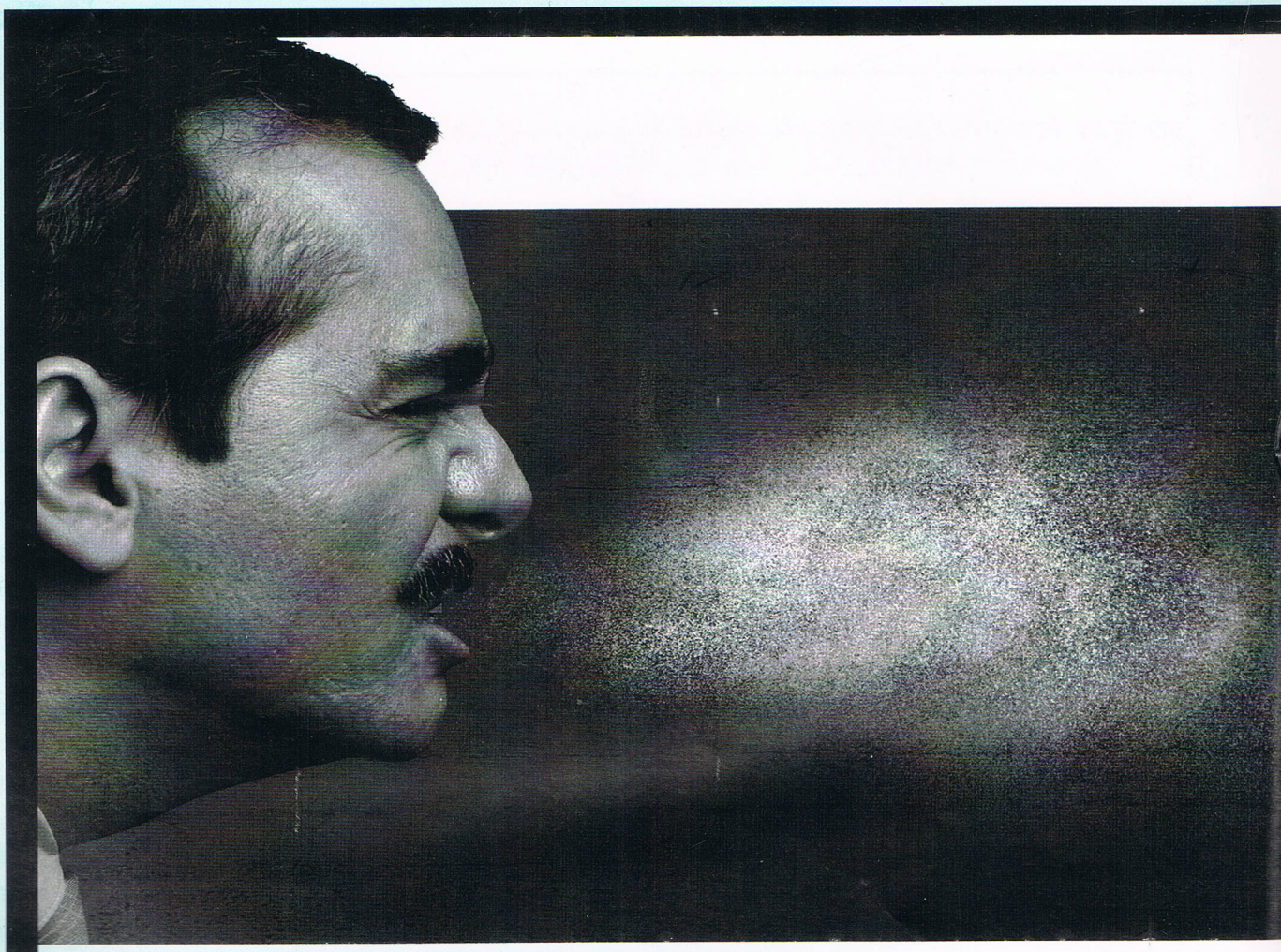

क्या करें

- खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को रूमाल या कपड़े से ढकें।
- अपनी नाक, आंख या मुंह को छूने से पहले तथा बाद में अपने हाथ साबुन से बार–बार धोएं।
- सार्वजनिक स्थलों से दूर रहे और यदि आपको फ्लू के लक्षण दिखाई दें तो स्वास्थ्य जांच केंद्र में जाएं या डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक पूरी तरह ठीक होने तक घर पर ही रहें।
- निम्नलिखित लक्षण स्वाइन फ्लू की पूर्व चेतावनी हो सकते हैं। ऐसे में तत्काल निर्दिष्ट अस्पताल में जाएं।
  - लगातार तेज बुखार
  - असामान्य व्यवहार
  - खांसी के साथ खून आना
  - होंठ और त्वचा का रंग नीला या जामुनी होना

क्या नहीं करें

- सार्वजनिक तौर पर हाथ मिलाने, गले लगाने या चुम्बन से बचें, या अभिनंदन का अन्य तरीका अपनाएं।
- चिकित्सक से सलाह के बिना दवाईयां नहीं ले।
- सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकें।

सत्यमेव जयते

स्वयं को और अपने परिवार को एच1एन1 फ्लू (स्वाइन फ्लू) से बचाएं

लक्षण

- बुखार
- खांसी
- गला खराब होना
- सांस लेने में दिक्कत

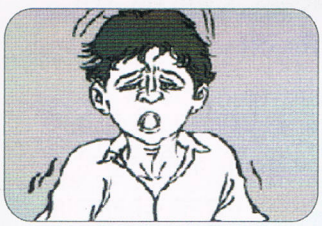

davp 17102/13/0258/0910

सम्पर्क का पता:
आउटब्रेक मॉनीटरिंग सैल, या फोन करें
राष्ट्रीय संक्रामक रोग केंद्र
011—23921401

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

KH-1/10/2

देश के विकास से जुड़ा है किसानों का हित

डॉ. भूपेन्द्र राय

कृषि में अब मात्र आश्वासनों की बजाय आर्थिक निवेश की ठोस कार्यवाई की जरूरत है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने तो यहां तक कहा है कि 'कृषि से भी ज्यादा ध्यान अब किसानों पर दिया जाना चाहिए। किसानों की वास्तविक आय यदि बढ़ी तो कृषि विकास का रास्ता स्वतः ही तैयार हो जाएगा।' यदि देश के किसान खुशहाल होंगे तो मुल्क में और सबका कारोबार भी सही चलेगा। अंततः तो देश का भविष्य एक मजबूत कृषि उत्पाद प्रबन्धन की श्रेष्ठ तकनीकों एवं बेहतर जननीतियों के सशक्त तालमेल से हासिल किया जा सकता है।

मुल्क के किसान एवं कृषि देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार माने जाते हैं। हो भी क्यों नहीं? देश में लगभग दो तिहाई लोगों को रोजगार के स्रोत मुहैया कराने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने तथा बड़े स्तर पर निर्यात बढ़ाने में अब इनका कोई जवाब नहीं। इसलिए कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी के साथ किसानों की खुशहाली, सम्पन्नता एवं उत्पादकता पर देश की सुख–समृद्धि भी काफी निर्भर करती है। देश की आजादी के बाद कृषि की दशा सुधारने के लिए वर्ष 1949 में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम, वर्ष 1960–61 में भूमि सुधार (चकबन्दी) कार्यक्रम, 1960 के दशक के मध्य में देश में पहली हरित–क्रान्ति आई, जिससे अप्रत्याशित रूप से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, और किसानों की दशा एवं कृषि में भी सुधार आया। अब कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा इसमें और भी सुधार लाने के लिए अगस्त 2007 से 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना', गेहूं, चावल तथा दालों के उत्पादन की वृद्धि के लिए 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' तथा बागवानी वाली फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' की शुरुआत हुई है।

वर्ष 2008–09 के बजट में भी किसानों के हितों का खास ख्याल रखा गया है। पर जब से देश में बाजारीकरण बढ़ा है किसानों की दशा सुधरने की बजाय बदतर ही हुई है। पहले तो किसान बैलों के द्वारा खेती करते थे, पर बाजारीकरण के चलते अब उन्हें अधिक पैदावार लेने की जरूरत पड़ती है। इसलिए अब वे महंगे बीज (संकर बीज़) लगाते हैं, डीजल एवं पेट्रोलचालित कृषि यंत्रों (ट्रैक्टर, पम्पिंग सेढ, थ्रेशर, कम्बाइन मशीनों आदि) का इस्तेमाल करते हैं, बाजार भाव पर कृषि के साजो–सामान खरीदते हैं पर जब अपनी कृषि उपज को बाज़ार

में बेचने जाते हैं तो लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सरकारी खरीदी व्यवस्था की देरी, ढिलाई आदि के चलते वे मंडी के आढ़तियों, साहूकारों, कारोबारियों के जाल में फंस जाते हैं जो इनके श्रम की कमाई की मलाई उतार लेते हैं। इसलिए इन पर कर्जे का बोझ बढ़ता है। बैंकों से कर्ज (लगभग 7 से 8.5 प्रतिशत ब्याज पर), यदि मिलता भी है तो वह अक्सर भ्रष्टाचार के रास्ते गुजरता हुआ किसानों को तो साहूकारों के कर्जे की दर (अनुमानतः 24 से 36 प्रतिशत) के बराबर का ही आकर पड़ता है। अब चूंकि किसान कृषि उत्पादों के स्वयं भी उपभोक्ता हैं इसलिए वे अक्सर घाटा उठाकर भी खेती करते हैं। मिलता उन्हें उतना ही है जितना यदि जोड़े तो उनकी उत्पादन में अपनी मज़दूरी होती है। दूसरें धंधों का प्रशिक्षण नहीं होने के कारण वह कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। किसान अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।

कृषि विकास की भी योजनाएं उनके आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त असरदार साबित नहीं हो सकी हैं। किसान अब भी समाज में सीढ़ी के सबसे नीचे के पायदान वाले आदमी हैं तथा सीढ़ी के ऊपर वाले सारे लोगों का बोझ भी उन्हीं के ऊपर रहता है। कुछ किसानों को तो कर्ज़े माफ हो या न हों उनकी हालत तो फिलहाल बदहाली में ही गुजरनी है। तो इन हालातों में कैसे सुधरेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कैसे बढ़ेगी उनकी आय, क्रयशक्ति तथा बदलेगी उनकी किस्मत। इस आलेख में कुछ इन्हीं अहम मसलों के हल ढूंढ़ने के लिए देश में दूसरी हरित क्रांति की सम्भावनाओं, कृषि विकास एवं किसानों के हितों की रक्षा करने वाली कुछ योजनाओं, क्रयशक्ति बढ़ाने के पूरक स्रोतों आदि की चर्चा की गई है तथा कुछ ऐसे बिन्दु भी सुझाए गए हैं जो बदल सकें किसानों की भी किस्मत तथा उनकी भी जिंदगी में आए खुशहाली का वह मंज़र जिसकी आशा में वे कृषि के धंधे से अब भी जुड़े हुए हैं।

ज़रूरत है अब दूसरी हरित क्रान्ति की

साठ के दशक के मध्य गहराते खाद्य संकट से निपटने के लिए देश में पहली हरित क्रान्ति का आगाज हुआ। विदेशों से चमत्कारी गेहूं एवं धान के बीजों का आयात, अनुकूल कृषि शोध, प्रसार कार्य, उपादानों की समन्वित आपूर्ति, मूल्य एवं वितरण समर्थन आदि का इसमें समावेश था, जिसकी वजह से गेहूं और चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि (2.5 टन/हे. से 6 टन प्रति हेक्टेयर) हुई, चौतरफा त्वरित विकास हुआ जो लगभग दो दशकों (वर्ष 1990) तक चला पर कुछ समय से कृषि उत्पादन एवं कृषि शोध में कम–कम निवेश के चलते कृषि अपने पुराने ढर्रे पर लौट रही है। विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल घटा है। अब देश में दूसरी हरितक्रान्ति लाने की जरूरत जोर पकड़ रही है, खासकर के फलों, सब्जियों, तिलहनों, दलहनी फसलों, मोटे अनाजों आदि के उत्पादन में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बढ़ते कार्यकलापों, वर्षाधीन कृषि तिलहनों, दलहनों, तथा मोटे अनाजों के देश में अब अनुभव एवं अनुसंधान के प्रभावी संगठन हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाजों को भी शामिल किए जाने, स्वयंसहायता समूहों, महिला सशक्तिकरण, ई–प्रशासन, गैर–सरकारी संगठनों की सक्रियता आदि के चलते दूसरी हरितक्रांति के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार हो रहा है, जिसका लाभ अब लिया जाना चाहिए। देश गंभीरता से यदि प्रयास करे तो इसके सम्मुख सफल होने के अवसर भी अब कम नहीं हैं।

किसानों के हितों की रक्षा करने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं

खेती में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए 16 अगस्त, 2007 से देश में 25000 करोड़ रुपये की लागत से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में कृषि विकास की 4 प्रतिशत वाली वृद्धि दर हासिल करने के लिए **'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'** प्रारम्भ की गई है। इसका उद्देश्य है कि कृषि निवेश बढ़ाकर बेहतर कृषि विकास दर हासिल की जाए जिससे किसानों को नई कृषि टेक्नोलॉजी के बज़ाफ्ता प्रशिक्षण के लिए 'आत्मा' (एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) के तहत 50,000 फार्म स्कूलों की स्थापना इसी मकसद से की गई है।

प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में देश में 4882 करोड़ रुपये की लागत से 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' वर्ष 2007 से प्रारम्भ किया गया है ताकि गेहूं, चावल तथा दालों के उत्पादन को और भी बढ़ाकर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। इस योजना में वर्ष 2008–09 के लिए 993 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

बागवानी वाली फसलों (फलों, सब्जियों, काजू, मिर्च मसालों आदि) के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए 6500 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2004 से 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' की शुरुआत हुई है जिससे वर्ष 2011–12 तक कुल बागवानी वाली फसलों के उत्पादन को 300 मिलियन टनों तक करने तथा इसके अन्तर्गत क्षेत्र को 40 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। इस वर्ष 2008–09 में इस मिशन में 18 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों के 340 जिलों में 1100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अब जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें 'कृषि ऋण योजना' 'एकमुश्त कर्ज माफी तथा

कर्ज़ राहत,' 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना,' किसान चैनल योजना,' 'किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम,' आदि उल्लेखनीय हैं।

तो क्या है अब छोटे किसानों की आर्थिक हैसियत?

विकसित देशों के किसानों की तुलना में, कृषि प्रधान देश होते हुए भी, अपने मुल्क के अधिकांश किसान आर्थिक रूप से समृद्ध एवं खुशहाल नहीं हैं। आर्थिक रूप से किसानों की माली हालत बैंक या सरकारी दफ्तरों के नीचे स्तर के कर्मचारियों, लिपिकों, बाबुओं आदि की भी तुलना में कम ही है। वर्ष 1993–94 की कीमतों के आधार पर वर्ष 2001 में देश में प्रति व्यक्ति आमदनी 10,754 रुपये वार्षिक तथा 896 रुपये मासिक पाई गई है। इसके परिप्रेक्ष्य में कृषि पर आश्रित छोटी जोत वाले औसत कृषक परिवारों की वार्षिक आय 25,380 रुपये की तथा लगभग 2115 रुपये मासिक की आंकी गई है। देश में वर्ष 2006–07 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. की मात्रा भी 36,771 रुपये की तथा मासिक 3064 रुपये की थी। अब इससे भी किसानों की आर्थिक हैसियत का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी उत्तम कही जाने वाली खेती की माली हालत, कभी अधम कही जाने वाली चाकरी (नौकरी) से भी नीचे चली

कृषि विकास एवं किसानों के हितों की रक्षा करने वाली कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं

योजनाएं	शुरुआती वर्ष एवं मौजूदा बजट प्रावधान	योजना लागत (करोड़ रुपये में)	योजना का उद्देश्य
(क) कृषि विकास वाली			
1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	16 अगस्त, 2007 से प्रारम्भ	25,000	ग्यारहवीं योजना (2007–12) में 4 प्रतिशत कृषि विकास दर की प्राप्ति
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	वर्ष 2007 से प्रारम्भ, बजट (2008–09)	4882 (993)	खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	वर्ष 2004 से प्रारम्भ बजट (2008–09)	6500 (1100)	बागवानी वाली फसलों का वर्ष 2011–12 तक 300 मि.ट. उत्पादन प्राप्त करना।
(ख) किसानों के हितों की रक्षा करने वाली			
4. कृषि ऋण योजना	बजट (2008–09) के लिए लक्ष्य	2,80,000	पहले से बेहतर मात्रा में कृषि ऋण उपलब्ध कराना।
5. एकमुश्त कर्ज माफी तथा कर्ज राहत	बजट (2008–09)	71680	छोटे किसानों के कर्जों (10 वर्ष, 2007 तक के) की कर्ज माफी तथा कर्ज राहत देना)
6. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	वर्ष 2000 से प्रारम्भ बजट (2006–07)	– (500)	कृषि बीमा उपलब्ध करना।
7. पशु बीमा योजना	2006–07 से लागू	–	पशुओं के नुकसान की भरपाई करना।
8. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम	अगस्त 1988 से प्रारम्भ (मौजूदा बजट)	– (3074)	अल्पावधि तथा मध्यावधि कर्जो की प्राप्ति (8.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर) उपलब्ध कराना
9. किसान चैनल योजना	21 जनवरी, 2004 से प्रारम्भ	–	कृषि अनुसंधान वाली संस्थाओं से किसानों को जोड़ने के कार्यक्रम देना।
10. किसान काल सेन्टर स्कीम	21 जनवरी, 2004 से प्रारम्भ	–	फोन नं. 1551 पर किसानों की कृषि समस्याओं का निदान करना।

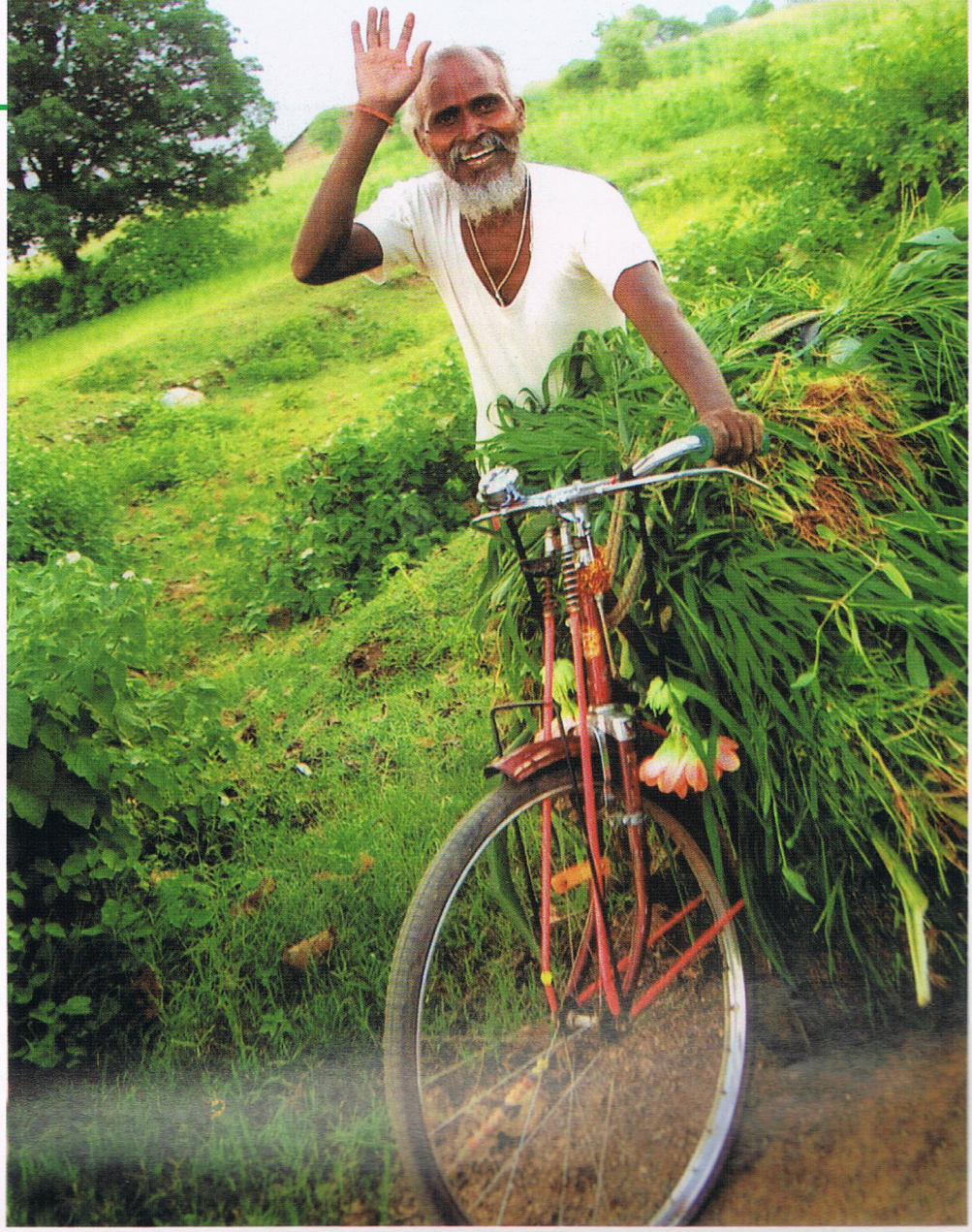

गई है। इसलिए किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है और यदि दूसरा कोई कारगर विकल्प मिले तो देश के लगभग 40 प्रतिशत किसान खेती को अलविदा ही कह देंगे, 27 प्रतिशत इसे लाभकारी नहीं मान रहे तथा 8 प्रतिशत का कहना है कि खेती का धंधा बड़ा जोखिम भरा लगता है। आने वाले 5 वर्षों में किसानों को यदि बदहाली से बचाना है तो लगभग एक करोड़ किसानों को कृषि धंधे से निकालकर उन्हें दूसरे आर्थिक रूप से लाभकारी धंधों से जोड़ना होगा।

चिंता की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला होने के बावजूद भी, विगत कुछ वर्षों से देश के जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पादों) में कृषि का प्रतिशत अंश निरन्तर कम होता जा रहा है। वर्ष 2000–01 में, जहां यह अंश 23.4 प्रतिशत का था, वर्ष 2004–05 में 19.2 प्रतिशत का, 2006–07 में 18.3 प्रतिशत का तथा वर्ष 2007–08 में तो इसे 17.8 प्रतिशत का ही दर्ज किया गया है। जमीनी स्तर पर कृषि की निम्न उत्पादकता, 'फार्म इकोलॉजी' तथा 'फार्म इकोनॉमिक्स' में आपसी संतुलन नहीं कायम हो पाने से 4 प्रतिशत की भी कृषि विकास दर प्राप्त नहीं हो पा रही। निम्न उत्पादकता व कृषि उत्पादों के कम व अनिश्चित मूल्य मिलने से किसानों का कृषि से मोहभंग हो रहा है। मुल्क के लिए यह अब एक बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में समस्त पूंजी निर्माण को, जो वर्ष 2006–07 में 12.5 प्रतिशत की थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान 4 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक ले जाने की जरूरत है। अब बाजार तथा कृषि शोध को एक साथ ही चलना होगा। देश को अब विशेष आर्थिक जोन (औद्योगिक सेज) के साथ ही समानान्तर रूप से कृषि सेज (विशेष कृषि क्षेत्रों) की स्थापना की भी जरूरत पड़ेगी।

प्रयासः किसानों को कृषि जिंसों के बेहतर मूल्य दिलाने के

सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की मार्केटिंग (विपणन) से सम्बन्धित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 7 अरब रुपये की योजना की मंजूरी अब एक स्वागत योग्य कदम है। इसके द्वारा स्थापित ई–गवर्नेंस ब्रांड इंटरनेट की 600 ग्रामों में ग्रामीण कॉमन सर्विस की सुविधा, जिससे किसानों को मौसम की जानकारी तथा उपज के सही मूल्य की जानकारी प्राप्त होने से बड़ी सुविधा हुई है। समय से न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से किसानों को फसलोत्पादन के जरूरी निर्णयों को लेने में आसानी हुई है। अब 'नई कृषक आय योजना' में धान एवं गेहूं में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिकारिक रूप से नीचे मूल्य प्राप्त होने पर इसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है जिससे किसानों को राहत मिले।

छोटे तथा मझोले किसानों की शक्ति तो अब इस बात में निहित है कि वे अपने संसाधनों को एकत्रित कर नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से समूहों में उत्पादन करें तथा सामूहिक स्तर पर अपने पैदा किए हुए उत्पादों का विपणन भी करें। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की अगुवाई में सहकारी दुग्ध समितियों ने दुग्ध उत्पादन एवं विपणन में इसमें भारी सफलता हासिल की है। देश में यह कार्य छोटे किसानों की समितियों ने अण्डों के, अंगूर के, सेब के, आलू, प्याज आदि के उत्पादन एवं विपणन में भी कर दिखाया है, जिसकी वजह से देश भर में अब इन कृषि जिंसों के दामों में लगभग एकरूपता आई है। स्वयं–सहायता समूहों द्वारा भी यह कार्य आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। देश में पनप रही अनुबंधित या ठेके वाली खेती भी अब इसी भावना की परिणति है।

कुछ परिपूरक स्रोत भी बढ़ा सकते हैं किसानों की आय

कृषि उत्पादन का धंधा किसानों को तभी पाल–पोस सकता है जब कृषि की रोजगारपरक तथा लाभकारी शक्ति बनी रहे, जिससे किसानों की आय सही बनी रहे। किसानों का फायदा तो अब कृषि के विविधीकरण में है। वैसे तो, देश की कृषि नीति अभी भी मूलतः खाद्यान्नों (खास करके चावल तथा गेहूं) के उत्पादन की ओर उन्मुख है लेकिन देश में नगरवासियों एवं मध्यवर्गीय समाज के बढ़ते जीवन स्तर, बढ़ती क्रयशक्ति के चलते अब फल, सब्जी, अण्डे, मांस, मछली, खाद्य तेलों, दुग्ध उत्पादों आदि की ओर भी लोग उन्मुख हो रहे हैं। इन कृषि जिंसों के निर्यात का स्तर भी बढ़ रहा है। इसलिए अब खाद्यान्न उत्पादन के साथ दूध उत्पादन, (दूध, घी पनीर, चीज, मक्खन आदि) फल एवं सब्जी उत्पादन, फल प्रसंस्करण, शहद उत्पादन, पापड़ उद्योग, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, नीम कीट नियंत्रक उत्पाद, मिर्च–मसालों की खेती, जलावनी लकड़ी, वर्मी कम्पोस्ट, नीम कीट नियंत्रक उत्पाद, मिर्च–मसालों की खेती, जलावनी लकड़ी उत्पादन, ग्रुप कीट नियंत्रण कार्य, झींगा मछली उत्पादन, बकरी पालन आदि कृषि के परिपूरक स्रोत किसानों की आय एवं क्रयशक्ति बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अकेले तो खेती का धंधा अब किसानों के लिए लाभ का सौदा नहीं बन सकता, न तो उनको अच्छा जीवन–स्तर ही प्रदान कर सकता है।

बेहतर ग्रामीण विकास होगा किसानों के हितों की रक्षा से

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1948 में कृषि के महत्व को देखते हुए कहा था–'सब कुछ इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं'। पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि कृषि में राष्ट्रीय नीति बनाने तथा लागू करने में उद्योगों की तुलना में कृषि ने कुछ ज्यादा ही इंतजार किया है पर अब और नहीं कर सकती। अभी भी विदेशी किसानों की तुलना में, देशी किसानों की हालत इस कृषि प्रधान मुल्क में खस्ताहाल ही है। निजी क्षेत्र के सहयोग से, सरकार भी कृषि विकास तथा किसानों के हितों की रक्षा करने वाली चालू योजनाओं को भी ईमानदारी, तथा सहयोग से कार्यान्वित करे तो स्थिति में बहुत सुधार आ सकता है तथा बदल सकती है अब किसानों की भी किस्मत। कृषि में अब मात्र आश्वासनों की बजाय आर्थिक निवेश की ठोस कार्यवाई की जरूरत है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डा. एम.एस. स्वामीनाथन जी ने तो यहां तक कहा है कि 'कृषि से भी ज्यादा ध्यान अब किसानों पर दिया जाना चाहिए। किसानों की वास्तविक आय यदि बढ़ी तो कृषि विकास का रास्ता स्वतः ही तैयार हो जाएगा।' वैसे हमारे किसान भाई अब काफी जागरूक हैं। यदि उन्हें समय से भरपूर मात्रा में कृषि उत्पादन के उपादान, साजो–सामान, प्रोत्साहन तथा उनके द्वारा पैदा किए हुए कृषि जिन्सों का लाभकारी मूल्य मिले तो उनकी मेहनत की ऊर्जा, देश की कृषि योग्य 550 लाख हेक्टेयर ज़मीन से इतना खाद्यान्न तो पैदा कर ही देगी जो देश की जरूरतों के अनुरूप हो तथा कुछ का निर्यात भी किया जा सके। कृषि के बदलते परिदृश्य में कम से कम अब इसकी आशा तो की ही जा सकती है।

(लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में पूर्व प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष हैं।)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (Krutidev 010 CD में) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

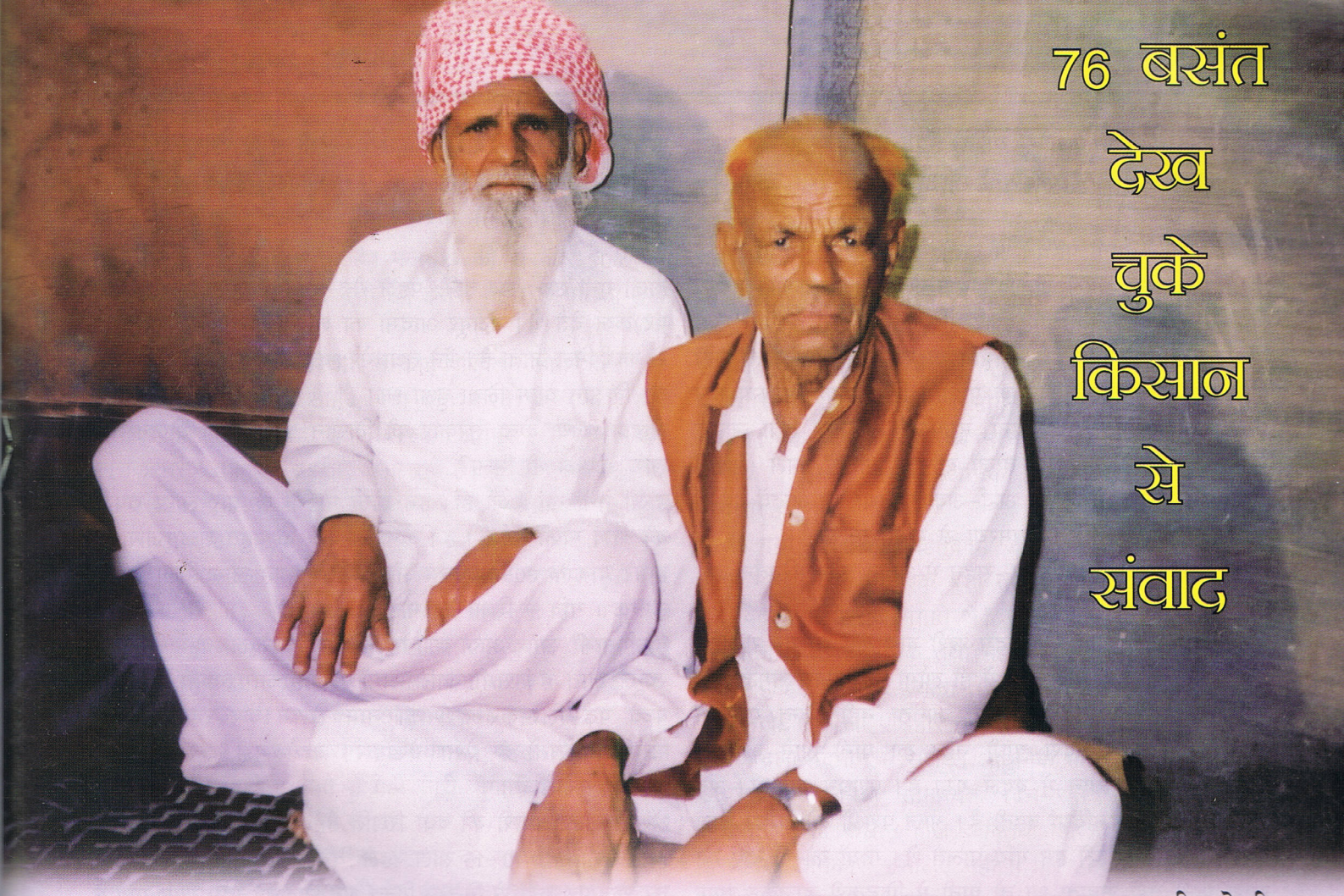

76 बसंत देख चुके किसान से संवाद

एन.डी. कोहरी

पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर बीकानेर से 70 किलोमीटर दूर स्थित लूनकरणसर गांव के निवासी हाजी गनी खां पड़िहार अपने दस सदस्यीय संयुक्त परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने दो पुत्रों एवं पांच पोते–पोतियों वाले इस जुझारु किसान का जीवन उतना ही संघर्षमय रहा है, जितनी कि भारतीय गणतंत्र की छह दशकीय अथक यात्रा। अस्सी बीघा जमीन के मालिक हाजी गनी खां से ठेठ मारवाड़ी भाषा में हुए वार्तालाप के प्रमुख अंशों का हिन्दी अनुवाद यहां प्रस्तुत है :–

भारतीय गणतंत्र ने अपनी इस साठ वर्षीय यात्रा में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में किन कीर्तिमानों को छुआ है, यह जानने के लिए लेखक ने जीवन के 76 बसंत देख चुके उस किसान से संवाद किया जिसने अपनी किशोरावस्था में देश को स्वतन्त्र होते देखा, जवानी एवं प्रौढ़ावस्था में देश के तीन युद्ध देखे और वृद्धावस्था में 21वीं सदी के उन्नत भारत को देख रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले के लूनकरणसर गांव के निवासी हाजी गनी खां से हुई बातचीत इस लेख में प्रस्तुत की गई है।

लेखक : हाजी साहब, आपने भारत की आजादी से लेकर आज तक की यात्रा देखी है। इस दौरान आपने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या देखा है?

हाजी गनी खां : यदि मैं मेरे इस गांव लूणकरनसर (राजस्थानी में लूण नमक को कहते हैं, खारे पानी की झील के कारण यह गांव लूणकरनसर कहलाया) के बारे में कहूं तो निश्चित तौर से इन्दिरा गाधी नहर का पानी इस गांव तक पहुंचना एक क्रांति से कम नहीं है। वर्ष 1972–73 में इस गांव में हिमालय का शीतल एवं मीठा जल पहुंचा तो लूणकरनसर की भूमि एवं ग्रामवासियों की तकदीर ही बदल गई। पहले यहां का पानी बहुत नमकीन था। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को यहां ब्याहना नहीं चाहता था। स्थिति यह थी कि हम घर आए मेहमान तक को कह देते थे कि रोटी खाओ, घी खाओ किन्तु पानी मत मांग लेना। उन दिनों पीने के पानी की आपूर्ति बीकानेर रियासत द्वारा बिछाई गई रेलवे लाईन मार्ग से एक टैंकर द्वारा होती थी। प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन एक मटका पानी दिया

जाता था। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता तो दो मटके ही प्राप्त कर सकता था। नहर का पानी मिलते ही हमें ऐसा लगा जैसे अमृत पी रहे हो।

लेखक : नहरी पानी पहुंचने से खेती में क्या अंतर आया?

हाजी गनी खां : पहले मानसूनी वर्षा से खेती होती थी। यद्यपि बीकानेर एक रेगिस्तानी एवं बंजर भूमि वाला जिला है किन्तु इस गांव की भूमि उपजाऊ है। जमीन के खारे पानी से खेती नहीं होती थी। नहरी पानी आने के पश्चात् सिंचाई की समस्या हल हो गई अतः सरसों, गेहूं, चना, मूंगफली, सब्जियों तथा जायद फसल लहलहाने लगी हैं। तीजों कूरियों, आठवों काल (अर्थात् राजस्थान में हर तीसरे वर्ष अर्द्ध–अकाल तथा हर आठवें वर्ष में पूर्ण अकाल पड़ता है) की समस्या से मुक्ति मिली है।

लेखक : जीवनशैली एवं रहन–सहन में आपने क्या परिवर्तन देखे हैं?

हाजी गनी खां : यदि मैं एकदम खरी बात कहूं तो वह यह कि मैंने तो विगत बीस–तीस वर्षों में ही लोगों का जीवन समृद्ध होते देखा है। सारे भारत की तो मैं जानता नहीं किन्तु पश्चिमी राजस्थान में तो इन्दिरा गांधी नहर का पानी आने के बाद रेगिस्तान, नखलिस्तान में बदल गया है। पशुधन बढ़ा है। अब घी–दूध–दही की नदियां बहती हैं। आज पशुओं को अच्छा चारा मिलने लगा है। पहले हम गाय पालते थे। गायों को भी कुएं का खारा पानी नहीं सुहाता था तो पानी में फिटकरी डालकर साफ करते थे। इस पानी से कई बार गायें मर जाती थी। नहरी पानी आने से हरा चारा उपलब्ध होने लगा तो गांव में भैंस भी पाली जाने लगी। इसी समय हम चाय भी पीने लगे। इससे पूर्व गांव में चाय नहीं बनती थी। मेरे बचपन में खाने–पीने की चीजें कम थी। लोगों में गरीबी थी। 40–50 घरों वाला यह गांव मुश्किल से जीवन व्यतीत करता था। आज 20 हजार मतदाताओं वाला लूणकरनसर एक सम्पन्न गांव है। विवाह एवं भोज समारोह में केवल खीचड़ा, शक्कर तथा घी का बनाया एवं खिलाया जाता था। आज सैकड़ों तरह की मिठाइयां गांव में बनती हैं। पहले हरी सब्जी तथा फलों की उपलब्धता नहीं थी। आज समस्त प्रकार के फल, सब्जी यहां आते हैं तथा लोगों में उन्हें खरीद कर खाने का सामर्थ्य भी है। मेरे बचपन में वर्ष में एक–दो बार आलू की सब्जी खाने को मिलती थी। हम आलू के लिए भी तरसते थे। आपको क्या बताऊं मैंने तो बचपन में अकाल के दौरान भरभूंट (कांटेदार घास के नुकीले बीज) के दानों की रोटियां भी खायी हैं।

लेखक : हाजी साहब, आजादी के बाद आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आया?

हाजी गनी खां : जनाब, बहुत भारी परिवर्तन आया। उस समय सूने खेत तथा एक कच्चा मकान था। आज ट्रेक्टर, जीप थ्रेशर, कल्टीवेटर, फ्रिज, टी.वी. सब कुछ है। खेती से ही परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। पोतों के पास मोबाईल है, कम्प्यूटर है।

लेखक : क्या कभी परिवार की जरूरतों हेतु कर्ज लेना पड़ता है?

हाजी गनी खां : अब नहीं। पहले सेठ–साहूकार महंगी ब्याज दरों पर कर्ज देते थे। मजबूर आदमी का शोषण करते थे। अब बैंकों से कर्ज मिल जाता है। मैंने तथा मेरे भाई ने खेती हेतु 2–2 लाख का किसान ऋण लिया हुआ था।

लेखक : क्या केन्द्र सरकार की किसान ऋण माफी योजना का लाभ आपको भी मिला?

हाजी गनी खां : जी हां। हम दोनों भाईयों के चार लाख रुपयों की ऋण माफी हुई है। हम केन्द्र सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे गांव के 30–40 अन्य लोगों को भी यह लाभ मिला है।

लेखक : गांव में शिक्षा का माहौल कैसा है?

हाजी गनी खां : आज तो मेरे गांव के सारे लड़के–लड़कियां स्कूल जाते हैं। सभी जाति–धर्मों में यह जागरुकता बढ़ी है। बच्चे पढ़–लिखकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी संतुष्टि मिलती है ऐसा देखकर। बच्चे मुझे कुरान शरीफ पढ़कर सुनाते हैं।

लेखक : बेरोजगारी की क्या स्थिति है?

हाजी गनी खां : 10–15 साल पहले चिन्ता थी कि बढ़ती जनसंख्या को रोजगार कहां से मिलेगा किन्तु अब रोजाना नई दुकान गांव में खुलती है। कभी मोबाईल की तो कभी आईसक्रीम की। नयी मशीनों जैसे टी.वी., कम्प्यूटर, मोबाईल, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर, इत्यादि ने रोजगार भी बढ़ा दिया है। इस गांव में 300–400 दुकाने हैं। गांव हाईवे पर है तो धन्धे भी खूब चलते हैं।

लेखक : कम्प्यूटर के बारे में जानते हो?

हाजी गनी खां : (हंसते हुए) अजी मैं तो इसे चलाना नहीं जानता हूं परन्तु पोते–पोतियों के साथ इन पर फिल्म देखता हूं। फोटो देखता हूं और कई बार समाचार भी पढ़ता हूं।

लेखक : आप कितने पढ़े–लिखे हैं?

हाजी गनी खां : मैं आठवीं पास हूं। आजादी के समय मैं मिडिल कक्षा में था। मुझे 2–3 साल बाद पटवारी की नौकरी मिल गई। मन में नहीं जंची तो फिर राजस्व विभाग में ऊंट सवार हो गया। बाद में यह नौकरी भी छोड़ दी तथा सारा ध्यान खेती पर लगा दिया। गांव में नहर नहीं आती तो शायद नौकरी ही करता रहता।

लेखक : पंचायती राज में क्या परिवर्तन देखे हैं?

हाजी गनी खां : बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले गांव के एक–दो ऊंची जातियों के पंच–पटेलों की ही चलती थी। आज जमाना बदल गया है। डेमोक्रेसी आई है जनाब। सबको मौका

मिलता है। पिछड़ी जातियों की भी ताकत बढ़ी है। पंचायत के पास गांव का विकास करने हेतु पैसा भी खूब आता है।

लेखक : नरेगा का नाम सुना है?

हाजी गनी खां : जी सुना है। मजदूरों को सरकार 100 दिन का काम देने की गारण्टी देती है। इससे बहुत लोगों का भला हुआ है।

लेखक : महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है?

हाजी गनी खां : वाह साहब, क्या बात करते हो? अजी, सारी दुनिया ही बदल गई है। दिल्ली, जयपुर से लेकर इस लूणकरनसर तक की सरकार चला रही हैं। महिलाएं तो कलक्टर हैं, एस.पी. हैं, सेना में हैं और हां, ट्रक भी चला रही हैं। बहुत सुधार आया है, साहब।

लेखक : पिछले 50 सालों में क्या–क्या बुराईयां समाप्त हुई हैं?

हाजी गनी खां : एक तो मृत्यु भोज बन्द–सा हो गया है। बाल–विवाह भी कम हुए हैं। विधवाओं का दुबारा विवाह होने लगा है। अब दोने–टोटकों से इलाज कम कराते हैं।

लेखक : इलाज की क्या–क्या सुविधाएं बढ़ी हैं?

हाजी गनी खां : बड़ा आराम हो गया है। पहले तो बणिए की दुकान से एक पुड़िया लाते थे वही सारी बीमारियों की दवा थी। बहुत सारे बच्चे न्यूमोनिया से मर जाते थे। अब ऐसा नहीं है। सरकारी अस्पताल है। बीकानेर पहुंचने के साधन हैं। लोगों के पास इलाज कराने का पैसा भी है। बी.पी.एल. का तो फ्री इलाज हो रहा है। यही तो सुख है अपनी सरकार का।

लेखक : नये जमाने की कोई बात ऐसी भी है जो दुःख देती है?

हाजी गनी खां : बिल्कुल है। नशा बहुत बढ़ गया है....? बीड़ी, सिगरेट, शराब एवं अफीम का प्रचलन बढ़ा है, अपराध भी बढ़े हैं। लोगों का मेलजोल, भाई–चारा कम हुआ है। सब अपने में मस्त हैं। ऐसा इन्सानियत के लिए ठीक नहीं है। हमारे गांव में तो कौमी एकता है किन्तु देश में ऐसा कम हो रहा है।

लेखक : आपका गांव सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। युद्धों के समय डर लगता है?

हाजी गनी खां : मैंने भारत के सारे बड़े युद्ध देखे हैं। हमारे गाँव के पास ही सेना का प्रशिक्षण केन्द्र है। सेना की आवाजाही रहती है। युद्ध के समय हम बंकर या गढ्ढे बनाकर छिपते थे। उस समय सभी में देशभक्ति की भावना रहती है तो डर तो नहीं लगता। एक दिन तो सभी को मरना है। फिर डर काहे का?

लेखक : हाजी साहब, आपको भारत का भविष्य कैसा लगता है?

हाजी गनी खां : (उत्साहपूर्वक) जनाब, बहुत ही तरक्कीनुमा। आज भारत विश्व की एक बड़ी ताकत है। हमारे बचपन में तो हम विदेशों से अनाज मंगाते थे। आज ऐसा नहीं है। हमारे यहां बड़े नेता, अच्छे वैज्ञानिक तथा मेहनती लोग हैं। दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हम और ज्यादा तरक्की करेंगे। खुदा हाफिज।

हाजी गनी खां पड़िहार के साथ हुए हमारे इस वार्तालाप ने हमारे दिलों–दिमाग में सशक्त आधुनिक भारत के प्रति श्रृद्धाभाव उत्पन्न कर दिया। सामान्यतः दिन–रात सरकारी तंत्र एवं राजनेताओं को कोसने वाले व्यक्तियों को देश की तरक्की की वास्तविक जानकारी इसलिए नहीं है कि उन्होंने गरीब भारत के दुर्दिनों को देखा या भुगता नहीं है। भारतीय गणतंत्र का तिरंगा विगत छः दशकों से न केवल शान से लहरा रहा है बल्कि भारत समस्त विकासशील एवं छोटे देशों के लिए अग्रज की भूमिका भी निभाता रहा है। यही मानवता की दरकार है।

(लेखक राजकीय एम.एस. कॉलेज, बीकानेर में व्यवसाय प्रशासन के वरिष्ठ व्याख्याता हैं।)

ई–मेल : ndkohri@yahoo.co.in

सदस्यता कूपन

मैं/हम का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : **कुरुक्षेत्र** एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

एक स्वयंसेवी संस्था के प्रयास से बदली गांव की तकदीर

"भरतपुर जिले की कांमा पंचायत समिति के गांव नगला हरचन्द में धीरे–धीरे आर्थिक सम्पन्नता आ रही है। जुआ, शराब एवं सट्टे में जिंदगी बर्बाद कर रहा यह गांव अब स्वर्ग बन गया है। अधिकांश गांव वाले या तो खेतिहर मजदूर थे या फिर मजदूर। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य लुपिन संस्था ने शुरू किया। मथुरा के नरी गांव से प्रशिक्षक बुलाकर लुपिन फाउण्डेशन ने गांव की 60 महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया और कार्य प्रारम्भ कराने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष व अन्य वित्तीय संस्थाओं से आसान किस्तों पर ऋण दिलाया। इसके अलावा गांव के कुछ ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त खेती योग्य भूमि थी, उन्हें सब्जी उत्पादन के लिए उन्नत बीज, खाद आदि दिलाया गया।"

दिलीप कुमार यादव

कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह बात कहीं और सटीक बैठे न सही लेकिन भरतपुर जिले की कांमा पंचायत समिति के गांव नगला हरचन्द में धीरे–धीरे आर्थिक सम्पन्नता आ रही है। गरीब लोगों की एकजुटता, साहस और मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने का काम लुपिन फाउण्डेशन ने किया है। जुआ, शराब एवं सट्टे में जिंदगी बर्बाद कर रहा यह गांव अब स्वर्ग बन गया है। यहां के हर महिला–पुरुष के पास आज काम है। इस गांव के मॉडल को भूटान की प्रथम महिला एवं नागरिक खुद आकर देख चुके हैं।

करीब पांच वर्ष पहले की बात है। कांमा कस्बे से मात्र दो किलोमीटर दूर बसा है शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों का गांव नगला हरचंद। अधिकांश गांव वाले या तो खेतिहर मजदूर थे या फिर मजदूर। गांव में शराब व सट्टे के प्रचलन के चलते मेहनत–मजदूरी से कमाए धन का पता ही न चलता। बच्चों ने स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा। यही कारण था कि पूरा

गांव गरीबी के अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन आशा की किरण बनी लुपिन संस्था ने गांव के विकास में भागीदारी दिखाई तो नगला हरचन्द शत–प्रतिशत रोजगार, बीमित, परिवार कल्याण के साधन सम्पन्न, स्वयंसहायता समूह वाला गांव बन गया है। जहां से गरीबी भागने लगी है और खुशहाली लोगों की जीवनरेखा बन गई।

लुपिन लैब मुम्बई औद्योगिक घराने की स्वयंसेवी संस्था लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ने वर्ष 2004 में नगला हरचंद को सर्वांगीण विकास के लिए गोद लिया। सभी ग्रामीणों की सामूहिक बैठक आयोजित कर ग्रामीणों की मांग के आधार पर विकास की प्राथमिकताएं तय की गईं। प्रथम वर्ष गांव में स्कूल एवं आवागमन का रास्ता बनाना तय किया गया। यद्यपि पहली बैठक में ग्रामीणों की संख्या कम रही लेकिन दूसरी व तीसरी बैठकों में इनकी संख्या बढ़ी तो लुपिन ग्राम पंचायत का गठन किया। जिसे गांव के विकास की जिम्मेदारी दी गई। इस ग्राम पंचायत में पहला प्रस्ताव पारित हुआ कि कोई भी गांव का व्यक्ति न हो तो शराब पीएगा और न सट्टा लगाएगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे जुर्माने के रूप में 121 रुपये लुपिन ग्राम विकास पंचायत को जमा कराने होंगे। पंचायत द्वारा लिए गए इस फैसले का दूसरे दिन से ही प्रभाव दिखाई देने लगा। यह विदित है कि राजस्थान में पंचायतों का प्रभाव आज भी कायम है। यद्यपि वर्षों से शराब के आदी रहे लोगों के मुंह से शराब बड़ी मुश्किल से छूट पाई।

कैसे तय हुई नवनिर्माण की डगर

ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य लुपिन संस्था ने शुरू किया। इसके तहत् प्राथमिक विद्यालय, भवन एवं सड़क के निर्माण कार्य हुए। बाद में लुपिन ग्राम पंचायत ने घर–घर सर्वे कराकर स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या का पता लगाया जिसका पहले वर्ष प्रभाव दिखाई देने लगा। 70 से 80 प्रतिशत स्कूल जाने योग्य बालक–बालिकाओं का स्कूल में नामांकन हो गया। शेष रहे बालक–बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने का प्रयास निरन्तर जारी रहा और दूसरे साल शत–प्रतिशत बच्चों का स्कूल में नामांकन हो गया।

कैसे दिया सबको रोजगार

अब बेरोजगार युवकों व महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने की बात आई तो लुपिन फाउण्डेशन ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि कांमा ब्रज क्षेत्र का भू–भाग है। इसके पास मथुरा, वृन्दावन, नन्दगांव, बरसाना जैसे धार्मिक महत्व के स्थल होने के कारण तुलसी माला की काफी बिक्री होती है। बस, इस काम को स्वरोजगार के लिए चुन लिया गया। इसे शुरू कराने के लिए मथुरा के नरी गांव से प्रशिक्षक बुलाकर लुपिन ने गांव की 60 महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया और कार्य प्रारम्भ कराने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष व अन्य वित्तीय संस्थाओं से आसान किस्तों पर ऋण दिलाया। उसी का परिणाम रहा कि आज गांव की लगभग सभी महिलाएं तुलसी माला का निर्माण कर रही हैं जिससे कच्चा माल उपलब्ध कराने एवं तैयार माल खरीदने व्यापारी गांव पहुंच रहे हैं।

हरचन्द के युवकों को स्वरोजगार के लिए 4 आदर्श डेयरी, 5 मुर्गीपालन केन्द्र, 3 परचून की दुकान, 8 लोडिंग रिक्शा, 6 गन्ना जूस मशीनें दिलाई गई। जिसके लिए सिडबी, एच.डी.एफ. सी. एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाया गया। इसके अलावा गांव के कुछ ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त खेती योग्य भूमि थी, उन्हें सब्जी उत्पादन के लिए उन्नत बीज, खाद आदि दिलाया गया। इतना ही नहीं गांव के जो प्रतिभावान छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी का बीमा भी कराया गया है। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न घटनाओं में जिन तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी, उनके परिजनों को बीमा राशि का भुगतान कराया गया।

परिवार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए सात स्वयं–सहायता समूह बनाए गए हैं जिनकी 90 सदस्य महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये का ऋण मुहैया कराया गया है। इससे वे अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत हैं। तीन समूहों की महिलाओं ने सिलाई–कढ़ाई व रेडीमेड वस्त्र निर्माण का सामूहिक कार्य शुरू किया है।

आज के नगला हरचंद गांव का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। गांव के सभी युवक एवं युवतियां काम में जुटे हैं, महिलाएं तुलसी माला बनाती नजर आ रही हैं। सभी परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाकर विकास की राह में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

The McGraw-Hill Companies

टाटा मैक्ग्रा हिल

सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रकाशन के गौरवमयी 25 वर्ष...

प्रारंभिक परीक्षोपयोगी पुस्तकें

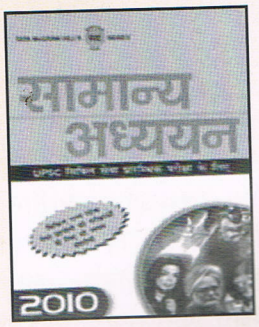

ISBN : 9780070678866
PRICE : 999/-

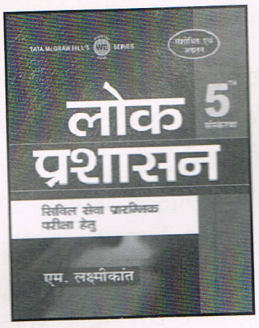

ISBN : 9780070679719
PRICE : 465/-

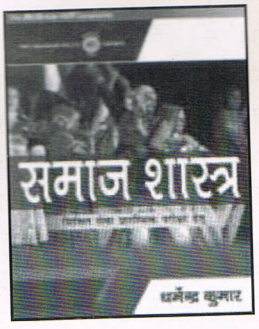

ISBN : 9780070660151
PRICE : 375/-

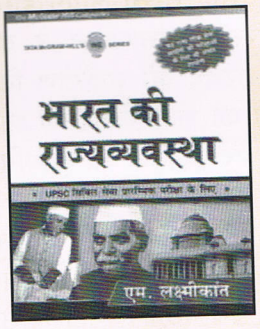

ISBN : 9780070620322
PRICE : 340/-

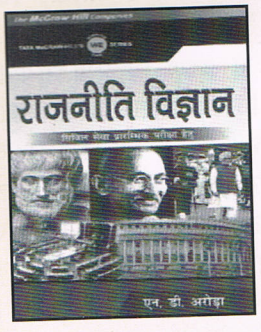

ISBN : 9780070655676
PRICE : 395/-

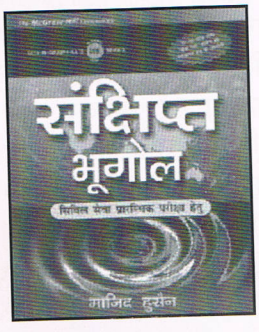

ISBN : 9780070082540
PRICE : 325/-

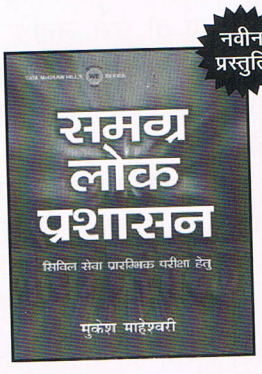

ISBN : 9780070679757
PRICE : 375/-

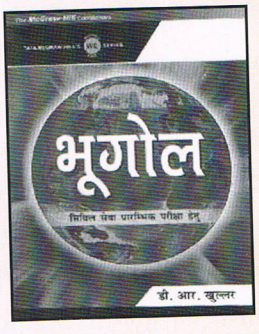

ISBN : 9780070667754
PRICE : 495/-

ISBN : 9780070679733
PRICE : 225/-

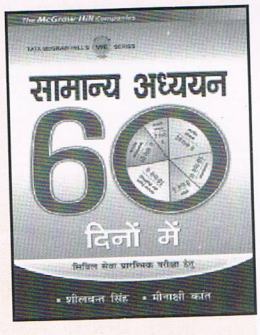

ISBN : 9780070090033
PRICE : 255/-

Mc Graw Hill Education

Tata McGraw Hill Education Pvt. Ltd.

Noida : B-4, Sector-63, Noida - 201 301 Ph.: 91-120-4383400,
E-mail : testprep@mcgraw-hill.com
North India : Naveen Bagga: 09810079532, Ashish Prashar: 09717005237, Deepak Shrivstava: 09794679797
East India : Joy Ghosh: 09435342833, Anindaya: 09836425322, Zahid Ali: 09334135451
West India : Arup: 09975518652, Sachin Gajrawala: 09898242368

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षोपयोगी पुस्तकें भी उपलब्ध

Visit www.upscportal.com for online purchase of Tata McGraw-Hill Testprep books.

KH-1/10/3

लोबिया का बेहतर उत्पादन

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

लोबिया हमारे देश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। भारत में इसे सिंचित एवं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। लोबिया को उत्तर भारत में जायद अथवा वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। परन्तु दक्षिण भारत में इसे वर्ष भर उगाया जा सकता है। यह एक अल्प अवधि वाली फसल है जो 2–3 महीनों में तैयार हो जाती है। इसकी खेती देश के लगभग सभी प्रान्तों में की जाती है। भारत में लोबिया की खेती प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक व बिहार में की जाती है। लोबिया की खेती दाल, हरे चारे, हरी फलियों व हरी खाद के लिए की जाती है। इस फसल की उपयोगिता अन्य दलहनी फसलों की अपेक्षा अधिक है। प्रोटीन प्राप्त करने के लिए लोबिया की दाल सबसे सस्ता साधन है। लोबिया की दाल से अनेक प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। लोबिया की दाल कैल्शियम और आयरन का भी अच्छा स्रोत है। लोबिया की फसल हरी खाद के रूप में भी लाभदायक है। इसके द्वारा लगभग 30–40 कि.ग्रा./हेक्टेयर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण होता है। अतः लोबिया जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक है। इसके अलावा लोबिया कम अवधि की फसल होने के कारण अन्य खाद्यान्न या चारा फसलों के साथ आसानी से अन्तः फसल के रूप में उगायी

भारत में लोबिया की खेती प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक व बिहार में की जाती है। लोबिया की खेती दाल, हरे चारे, हरी फलियों व हरी खाद के लिए की जाती है। इस फसल की उपयोगिता अन्य दलहनी फसलों की अपेक्षा अधिक है। लोबिया को विभिन्न फसलों के साथ उगाया जा सकता है। लोबिया को मुख्यतः एकल, मिलवां व अन्तः फसल के रूप में उगाते हैं। इस फसल को विभिन्न फसल चक्रों में प्रयोग करके अधिक आमदनी के साथ–साथ मृदा की उर्वराशक्ति को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। लोबिया की फसल मृदा संरक्षण के साथ–साथ भूमि जल संरक्षण में भी लाभदायक सिद्ध हुई है। बारानी क्षेत्रों में इसे मक्का, ज्वार, अरहर के साथ अन्तः फसल पद्धति में भी बोया जाता है। इससे चारे में पौष्टिकता बढ़ जाती है।

लोबिया की हरी फलियों वाली पूसा बरसाती किस्म

जा सकती है। लोबिया तेजी से बढ़ने वाली व शीघ्र ही सम्पूर्ण मृदा पर फैल जाती है जिससे भूमि में नमी संचय होने के साथ–साथ मृदाक्षरण से होने वाली हानि को भी रोकने में सहायक है। साथ ही यह खेत में खरपतवारों को भी नहीं पनपने देता है। वर्षा ऋतु में लोबिया को बरानी और शुष्क क्षेत्रों में जोखिम कम करने के लिए अन्य फसलों के साथ अन्तः फसल के रूप में बोया जाता है। प्रस्तुत लेख में दी गयी नवीनतम जानकारी को अपनाकर किसान भाई लोबिया की भरपूर पैदावार ले सकते हैं।

लोबिया की पैदावार में कमी के प्रमुख कारण

- प्रायः किसानों द्वारा लोबिया की खेती असिंचित व अनुपजाऊ क्षेत्रों में करना।
- लोबिया की खेती से सम्बन्धित सस्य विधियों की जानकारी न होना।
- नवीनतम व संकर प्रजातियों का बीज बाजार में उपलब्ध न होना।
- कीट पतंगों व रोगों से बचाव सम्बन्धी जानकारी का अभाव। साथ ही फसल के साथ उगे खरपतवारों को खेत से निकालने में देरी करना।
- लोबिया के बीजों का राइजोबियम जीवाणु व पी.एस.बी. जीवाणु से उपचार न करना।
- खेत में प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की पर्याप्त संख्या न होना।
- सामान्यतः लोबिया की फसल को अन्य धान्य व चारा फसलों के साथ अन्तः फसल के रूप में उगाना।
- लोबिया की खेती में सिंचाई की सुविधाओं को नजरअंदाज करना।

फसल चक्र एवं अन्तः फसल प्रणाली

लोबिया को विभिन्न फसलों के साथ उगाया जा सकता है। लोबिया को मुख्यतः एकल, मिलवां व अन्तः फसली के रूप में उगाते हैं। इस फसल को विभिन्न फसल चक्रों में प्रयोग करके अधिक आमदनी के साथ–साथ मृदा की उर्वराशक्ति को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। साथ ही मृदा संरक्षण के साथ भूमि जल संरक्षित करने में भी लोबिया की फसल लाभदायक सिद्ध हुई है। बारानी क्षेत्रों में इसे मक्का, ज्वार, अरहर के साथ अन्तः फसल पद्धति में भी बोया जाता है। इससे चारे में पौष्टिकता बढ़ जाती है। इस प्रकार लोबिया की बहूपयोगी खेती से चारा, दाना व हरी फलियां सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है।

उन्नतशील प्रजातियां

लोबिया की उन्नतशील प्रजातियों को मुख्यतः तीन भागों–चारे, दाने व हरी फलियों के रूप में बांटा जा सकता है। जिनमें से कुछ प्रमुख किस्मों का विवरण सारणी–2 में दिया गया है।

जलवायु

लोबिया को शुष्क और अर्ध–शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु की फसल होने के कारण इसमें सूखा सहन करने की भी पर्याप्त क्षमता होती है। इसका अंकुरण 12–15 सेन्टीग्रेड तापमान पर अच्छा होता है। लोबिया की वृद्धि व विकास के लिए 27 से 35 सेन्टीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। पानी की कमी के साथ–साथ खेत में लम्बे समय तक पानी का ठहराव भी फसल के लिए हानिकारक है। जायद ऋतु में उगाने के लिए लोबिया को सामान्य वृद्धि के लिए 25–30 सेंटीग्रेड तापमान एवं वायुमंडल में उचित आर्द्रता होना आवश्यक है। इस समय भूमि का तापमान 15–30 सेंटीग्रेड होने पर बीज का अंकुरण होता है।

लोबिया के दानों का पोषण तत्वीय संघटन

क्रमांक	घटक	पोषण मान
1.	कार्बोहाइड्रेट (प्रतिशत)	60.30
2.	वसा (प्रतिशत)	1.80
3.	प्रोटीन (प्रतिशत)	23.40
4.	कैलोरिफिक मान (कैलोरी/100 ग्राम)	342.00
5.	कैल्शियम (मिलीग्राम/100 ग्राम)	76.00
6.	आयरन (मिलीग्राम/100 ग्राम)	5.70
7.	फास्फोरस (मिलीग्राम/100 ग्राम)	430.00
8.	लायसिन (ग्राम/100 ग्राम प्रोटीन)	6.70
9.	आइसोल्यूसिन (ग्राम/100 प्रोटीन)	4.90
10.	मेथीयोनिन (ग्राम/100 ग्राम प्रोटीन)	1.30
11.	विटामिन बी$_1$ (मिलीग्राम/100 ग्राम)	0.92
12.	विटामिन बी$_2$ (मिलीग्राम/100 ग्राम)	0.18

सारणी 2 : विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोबिया की उन्नतशील प्रजातियां

क्रमांक	प्रजातियां	प्रमुख किस्में
1.	चारे हेतु उपयुक्त प्रजातियां	यू.पी.सी.–287, यू.पी.सी.–5286, यू.पी.सी. –5287, ई.सी.–4216, जी.एफ.सी.–1, यू.पी.सी.–8501, इगफ्री–450, इगफ्री–455, आई.एफ.सी.–8401, हिसार–10, सी–152, जी.एफ.सी.–3, यू.पी.सी.–4200, सी–88, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–2, सी.एस.–8, सी.–1, रसियन जाइंट, टाईप–5269, पूसा ऋतुराज, आर.सी.–101, के. वी.सी.–2, पूसा सम्पदा, जी.सी.–3, जी.सी.–4, यू.पी.सी.–8075
2.	दाने हेतु उपयुक्त प्रजातियां	पूसा–240, वी–578, सी–152, एस–488, पूसा फाल्गुनी, पी–118, पूसा दो फसली, पी.टी.बी. –2, जी.सी.–827, सी.ओ.–3, गुजरात बी–118, लोबिया–2
3.	हरी फलियों हेतु उपयुक्त प्रजातियां	पूसा सुकोमल, पूसा कोमल, भाग्यलक्ष्मी, पूसा बरसाती वरूण, पी.टी.बी.–2, शारिका, मलिका, के.एम. बी.–1, लोला, अनस्वर इत्यादि।

भूमि का चुनाव

दलहनी फसल होने के कारण लोबिया के लिए उचित जल निकास वाली दोमट व हल्की मिट्टी अच्छी मानी जाती है। भूमि का पी.एच. मान 6.5 से 7.5 तक लोबिया की पैदावार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह फसल सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगायी जा सकती है।

खेती की तैयारी

जायद या खरीफ ऋतु में लोबिया उगाने के लिए खेत की मिट्टी का भुरभुरा होना अत्यावश्यक है ताकि बीज का जमाव अच्छा हो सके। इसके लिए हैरो या कल्टीवेटर से दो जुताइयां करके हर बार पाटा लगाकर खेत को समतल एवं ढेले रहित कर लेना चाहिए ताकि सिंचाई करने में कोई असुविधा न हो। साथ ही खेत की नमी को भी संरक्षित किया जा सके।

बुवाई का समय

लोबिया की बुवाई सही समय पर करें। अन्यथा ऐसा न करने पर उपज में गिरावट आ जाती है। इसके अलावा पौधों में फूल देर तक खिलते रहते हैं जिससे कटाई के समय फलियां कच्ची रह जाती हैं व उनमें कीड़े व बीमारियां लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। जायद में लोबिया की बुवाई का सही समय मध्य अप्रैल का माना जाता है जिससे चारे की कमी वाले मई–जून के महीनों में पशुओं को हरा चारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु की फसल को मानसून शुरू होने के बाद जून के तीसरे सप्ताह से मध्य जुलाई तक बो देना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में पलेवा करके जून के प्रथम सप्ताह में भी बुवाई कर सकते हैं। पूर्वी व दक्षिण भारत में इसको फरवरी के प्रारम्भ से नवम्बर तक बो सकते हैं।

बीज की मात्रा

लोबिया के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस उद्देश्य के लिए बोया जा रहा है। हरी फलियों हेतु सीधी बढ़ने वाली प्रजातियों का 20–25 कि.ग्रा./हेक्टेयर तथा फैलने वाली प्रजातियों का 10–12 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। दाने वाली प्रजातियों का 20–25 कि.ग्रा. तथा चारे वाली फसल के लिए 40–45 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यदि लोबिया की फसल अन्तः फसल के रूप में उगायी जा रही हो तो बीज की संस्तुत मात्रा आधी कर देनी चाहिए। यदि लोबिया की फसल हरी खाद हेतु उगायी जा रही है तो बीज की मात्रा 35–40 कि.ग्रा./हेक्टेयर रखनी चाहिए।

बीजोपचार

बुवाई से पूर्व लोबिया के बीजों को राइजोबियम नामक जीवाणु से अवश्य उपचारित करें क्योंकि लोबिया के पौधें की जड़ों में गाठें पायी जाती हैं जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को भूमि में एकत्रित करती है जिससे लोबिया की फसल को नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। साथ ही फसल चक्र में अगली फसल की नाइट्रोजन सम्बन्धी आवश्यकता भी कुछ हद तक पूरी हो जाती है। यह राइजोबियम जीवाणु का टीका काले रंग का महीन चूर्ण होता है जो सभी अनुसंधान केन्द्रों, नजदीकी कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केन्द्रों पर आसानी से मिल जाता है। राइजोबियम जीवाणु के दो पैकेट एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके लिए एक चौड़े मुंह की बाल्टी में 125 ग्राम गुड़ को 200 मि.ली. पानी में घोलकर ठंडा होने पर उसमें

राइजोबियम का टीका अच्छी तरह से मिला लें। फिर उस लई को बीजों के साथ मिलाकर लगभग तीन घंटे छाया में सुखा लें। ध्यान रहे लई का लेप बीजों के ऊपर अच्छी तरह चढ़ जाए। इसके अलावा बीजों का पी.एस.बी. नामक जीवाणु उर्वरक से भी उपचारित करना चाहिए। उपर्युक्त जीवाणु उर्वरकों से बीजों को उपचारित करने पर नाइट्रोजन व फास्फोरस उर्वरकों के प्रयोग में 10–20 प्रतिशत की कमी की जा सकती है।

लोबिया की नवीनतम किस्म पूसा – 240

बुवाई की विधि

भरपूर पैदावार हेतु लोबिया की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करनी चाहिए। बुवाई हल के पीछे कूड़ों में अथवा सीडड्रिल की सहायता से करें। इससे फसल में निराई–गुड़ाई व अन्य कृषि कार्य करने में सुविधा रहती है। दाने व सब्जी वाली फसल में पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45–60 से.मी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 10–15 से.मी. रखनी चाहिए जिससे प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या सही अनुपात में बनी रहे। जायद व ग्रीष्म ऋतु में पंक्तियों की दूरी घटाकर 25–30 से.मी. रखनी चाहिए। चारे के लिए उगाये जाने वाली फसल में पंक्तियों के बीच की दूरी 30–45 से.मी. रखनी चाहिए। इसके अलावा फैलने वाली प्रजातियों को ज्यादा दूर–दूर बोना चाहिए। बीज की बुवाई 3–4 से.मी. की गहराई पर करने से जमाव अच्छा होता है। बुवाई कभी भी छिटकवां विधि से नहीं करना चाहिए क्योंकि जायद व ग्रीष्म में भूमि की ऊपरी सतह पर कम नमी होने के कारण ऊपरी सतह पर पड़े बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है जिसका पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि मजबूरी में बुवाई छिटकवां विधि से करनी पड़े तो बीज की मात्रा 15–20 प्रतिशत बढ़ा लें। जहां तक हो सके बुवाई सुबह के समय ही करें। वर्षा ऋतु में बुवाई कूड़ों पर करनी चाहिए जिससे जल भराव से फसल को हानि न हो। यदि किसी कारण पंक्तियों में बीज नहीं जमा है तो उन स्थानों पर 4–5 दिन की फसल होने पर पुनः बीज बोयें।

खाद एवं उर्वरक प्रबन्धन

दलहनी फसल होने के कारण सामान्यतः लोबिया की फसल में नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि लोबिया अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग करती है। अतः बुवाई के समय 15–20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 30–40 कि.ग्रा. फास्फोरस तथा 20–25 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट तथा फास्फोरस को सुपर फास्फेट के रूप में देने से पोषक तत्वों का कम ह्रास होता है। मृदा जांच के आधार पर यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 20–25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय डाले। जिंक का प्रयोग करने पर दलहनी फसलों की पैदावार अधिक होती है। यदि गोबर या कम्पोस्ट खाद उपलब्ध हो तो 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 15–20 दिन पहले खेत में अच्छी तरह मिला दें। इससे पैदावार बढ़ने के साथ–साथ मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है जिसका मृदा की उत्पादन क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

सिंचाई प्रबन्धन

ग्रीष्म ऋतु की फसल में वातावरण की परिस्थितियों और भूमि में नमी के अनुसार 3–4 सिंचाईयां पर्याप्त होती हैं। यदि पहली सिंचाई के बाद निराई–गुड़ाई कर दी जाए तो सिंचाई जल की काफी बचत की जा सकती है। सामान्यतः खरीफ ऋतु में बोयी फसल में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु यदि लम्बे समय तक वर्षा न हो तो आवश्यकतानुसार एक या दो सिंचाईयां देनी चाहिए। लोबिया की फसल में फूल बनते व फलियां बनते समय सिंचाई अवश्य करें। अन्यथा फलियों की पैदावार व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिक वर्षा होने पर पानी को एक जगह इकट्ठा न होने दें क्योंकि अधिक समय तक पानी खेत में रूकने से पौधों की जड़ों में वायु संचार रुक जाता है जिसके परिणामस्वरूप जड़ें गल जाती हैं और अन्ततः पौधे मर जाते हैं।

खरपतवार नियंत्रण

साधारणतया लोबिया की फसल में खरपतवारों की कम समस्या

होती है। यदि फसल की प्रारम्भिक अवस्था में 15 से 20 दिन के अंतराल पर निराई–गुड़ाई करते रहें तो खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। चारे के लिए उगायी जाने वाली फसल में शाकनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि फसल बीज उत्पादन हेतु बोई गई है तो खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। अन्यथा पौधों की वृद्धि व विकास ठीक से नहीं हो पाता है। दानें वाली फसल में पेन्डिमेथिलिन 30 ई.सी. को 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600–800 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के 2 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। यदि सही तरीके से शाकनाशी का छिड़काव किया गया है तो एक माह तक फसल में खरपतवार नहीं आते और फसल अच्छी तरह बढ़ती रहती है।

विरलीकरण

लोबिया की फसल में प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की उचित संख्या रखना अति–महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है। जहां पर ज्यादा बीज गिर गया हो तो वहां पर पौधे गुच्छों में निकले हुए दिखाई देंगे। इन अनावश्यक पौधों को उखाड़कर पौधों की उचित दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। याद रहे एक स्थान से हमेशा कमजोर व छोटे पौधों को ही उखाड़ें।

कीट एवं रोग नियंत्रण

लोबिया की फसल में कीट कम लगते हैं फिर भी सावधानी के तौर पर कीट प्रतिरोधी किस्में बोयें। इसके अलावा फसल की उन्नत किस्म, सही समय पर बुवाई, बीज की उचित मात्रा, खाद एवं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग एवं उचित जल प्रबंधन से फसल में कीट कम लगते हैं। सामान्यतः हरा चारा पशुओं को खिलाया जाता है इसलिए फसल में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोबिया की फसल में लगने वाले कीटों में एफिड़, हेयरी केटरपिलर व दीमक प्रमुख हैं। एफिड़ व केटरपिलर से बचाव हेतु एंडोसल्फान 4 प्रतिशत पाउडर की 25 कि.ग्रा. मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। यदि जमीन में दीमक का प्रकोप हो तो जमीन की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में दीमक का अधिक प्रकोप हो वहां बुवाई से पूर्व उचित कीटनाशक दवा को मिट्टी में मिला देना चाहिए।

प्रायः लोबिया की फसल में रोग लगने की सम्भावना कम रहती है। लोबिया की फसल में लगने वाले रोगों में चूर्णी कवक, पीली चितेरी विषाणु रोग (मोजेक) व स्मट प्रमुख हैं। उपरोक्त बीमारियों के नियंत्रण हेतु रोग अवरोधी किस्मों की बुवाई करें। बोने से पहले कच्चे व कटे–फटे बीजों को छानकर अलग कर लें। बीजोपचार उपयुक्त कवकनाशी द्वारा अवश्य करें। गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें। उचित फसल चक्र को प्रयोग में लायें।

कटाई एवं मड़ाई

हरी सब्जी हेतु बोयी गयी फसल से फलियों को मुलायम अवस्था में ही तोड़ लेना चाहिए। सब्जी वाली फसल से 50–90 दिनों के अन्दर हरी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। नर्म, कच्ची व हरी फलियों की तुड़ाई 5–6 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इसके बाद फसल को काटकर चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। चारे के लिए बोयी गयी फसल 45–55 दिनों में कटाई योग्य हो जाती है। जहां तक हो सके चारे के लिए फसल को फूल आने से पूर्व या फूल आने की अवस्था पर काट लेना चाहिए। यदि फसल दाने के लिए बोयी गयी है तो पूर्ण रूप से पकने पर ही फसल की कटाई करें। दाने वाली फसल लगभग 90–130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कटाई हसियें या दरांती की मदद से करके फसल को बंडलों में बांधकर सूखने के लिए धूप में छोड़ दें। कटाई के 7–10 दिनों बाद मड़ाई करें।

उपज

उन्नत सस्य तकनीकियां अपनाकर किसान भाई लोबिया की फसल से लगभग 250–300 क्विंटल हरा चारा, 14–17 क्विंटल दाना तथा 50–60 क्विंटल सूखा भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। हरी सब्जी हेतु बोयी गयी फसल से 80–85 क्विंटल हरी फलियां तथा 200–250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त हो जाता है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग में तकनीकी अधिकारी है)

ई–मेल : V.K.agro@Yahoo.co.in

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, तल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

करेला, भिंडी और मेथी के औषधीय गुण

डॉ. डी.डी. ओझा

वैसे तो सभी लोग सब्जियों का उपयोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करते ही हैं, परंतु इनका उपयोग यदि चिकित्सा की दृष्टि से किया जाए तो अनेक छोटे-बड़े रोगों से छुटकारा मिल सकता है। विश्व की अधिकांश चिकित्सा पद्धतियों-आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, तिब्बती आदि में अनेक प्रकार की वनस्पतियों यानी फलों-सब्जियों एवं उनके अवयवों आदि का उपयोग ही अधिक होता है। इस आलेख में करेला, भिंडी तथा मेथी के औषधीय गुणों का विवेचन किया गया है।

करेला : करेला औषधीय गुणों से युक्त सब्जी है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। करेला 10 से 20 सेमी. तक लंबा, सिरे पर शुंडाकार और खुरदरी रचना से ढका होता है। इसके बीज कच्ची अवस्था में सफेद और पक जाने पर लाल होते हैं।

इसकी दो किस्में होती हैं। करेले की अधिकतर किस्मों के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग में आर्द्रता 92.4, प्रोटीन 1.6, वसा 0.2, खनिज पदार्थ 0.8, रेशा 0.8 और कार्बोहाइड्रेट 4.2 प्रतिशत होता है। इसमें निहित खनिज पदार्थ और विटामिन प्रति 100 ग्राम पर कैल्शियम 20, कैलॉरी 25, फास्फोरस 70, लौह 1.8, थायमिन 0.07, रिबोफ्लेविन 0.09, नायसिन 0.5 और विटामिन 'सी' 88 मि.ग्रा. रहता है।

औषधीय गुण – करेले में उत्कृष्ट औषधीय गुण होते हैं। यह प्रतिकारक, ज्वरहारी टॉनिक, क्षुधावर्धक, पाचक, पित्तनाशक और मृदुरेचक होता है। इसमें सभी विटामिन और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, यथा–विटामिन 'ए', 'बी–1', 'बी2', 'सी' और लौह। इसका सेवन कई समस्याओं, जैसे उच्च रक्तचाप, आंख रोग, तंत्रिका शोथ और कार्बोहाइड्रेट की दोषपूर्ण मेटाबॉलिज्म को कम करता है। यह संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करता है।

अति प्राचीनकाल से ही करेले को मधुमेह की औषधि के रूप में विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। ब्रिटिश डॉक्टरों के एक दल ने अनुसंधानों से यह सिद्ध कर दिया है कि इसमें हाइपोग्लाइकेमिक या इंसुलिन जैसा रसायन विद्यमान रहता है। इसे प्लांट इंसुलिन कहा जाता है, जोकि रक्त और मूत्र शर्करा के स्तर को कम करने में बहुत लाभकारी है। अतः मधुमेह के रोगी के आहार में इसे उदारता से शामिल किया जाना चाहिए। अच्छे परिणाम के लिए मधुमेह के रोगी को प्रत्येक सुबह खाली पेट चार या पांच करेलों का रस लेना चाहिए। करेले के बीज को पीसकर भोजन में भी लिया जा सकता है। करेला रक्त संबंधी अनियमितताओं, जैसे– रक्त का फोड़ा, खुरंड, छाले, दाद और अन्य फंगस जैसी बीमारियों में अति लाभकारी है। इन अवस्थाओं में करेले के एक कप रस में नींबू का एक चम्मच रस मिलाकर प्रतिदिन चार से छह महीने धीरे–धीरे पीना चाहिए।

अति प्राचीनकाल से ही श्वसन संबंधी अनियमितताओं के लिए देशी औषधियों में करेले की जड़ का उपयोग किया जाता है। यह दमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी और राइनिटिस में उत्तम दवा का कार्य करता है।

करेले की ताजा पत्तियों का रस बवासीर में उपयोगी है। इस दशा में एक गिलास छाछ में करेले के पत्तों का तीन चम्मच रस एक महीने तक लेना चाहिए।

अल्कोहलिज्म के उपचार के लिए करेले के पत्तों का रस उपयोगी है। यह अल्कोहल के नशे का अंत करता है और नशे के कारण यकृत को होने वाले नुकसान में भी उपयोगी है। गरमी में करेले के ताजा पत्तों का रस डायरिया में भी प्रभावी दवा है।

करेले से विभिन्न तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। पके फल के बीजों का उपयोग भारत में मसाले के रूप में किया जाता है। एशिया और अफ्रीका में देशी दवाओं में करेले का उपयोग किया जाता है।

भिंडी

भिंडी बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। इसकी ऊंचाई 60 से 90 से.मी. होती है। इसका तना हरा रंग लिए हुए रोएदार रहता है। भिंडी की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में हुई। भिंडी में मृदुता, लसीलापन और श्लेष्मकता अधिक मात्रा में रहती है, जोकि महत्वपूर्ण इग्वाइंट, शामक और मूत्रवर्धक है। यह प्रशीतक और कामोत्तेजक भी है।

भिंडी गैस्ट्रिक अल्सर के लिए प्रभावी दवा है। मृदुकारी भिंडी संवेदनशील बड़ी आंत के सतह की रक्षा करती है, अतः ऐंठन रोकती है। यह वृहद् आंत्रशोध और आंत की जलन में फायदा पहुंचाने वाली उत्तम सब्जियों में से एक है।

भिंडी का लस गले, पेट, मलाशय और मूत्रमार्ग में होनेवाली जलन के लिए उपयोगी है। आड़ी–कटी हुई तीन औंस भिंडी 250 मिली. पानी में बीस मिनट उबालकर, छानकर उसे मीठा किया जाता है। यह काढ़ा दो से तीन औंस की खुराक में बार–बार दिया जाता है। यह मूत्रकृच्छ, सूजाक और ल्यूकोरिया तथा मूत्र करते समय जलन होने, दर्द तथा वेदना वाले सभी मामलों में फायदेमंद है।

ताजा बीजरहित दो कोमल भिंडियां प्रतिदिन चबाकर खाने से श्वेत प्रदर, धातु गिरना, वीर्य के पतलेपन, नपुंसकता तथा शीघ्र वीर्यपात के लिए विशेष औषधि है।

गले की खराश और लगातार सूखी खांसी में भिंडी बहुत उपयोगी है। भिंडी काटकर 250 मि.ली. पानी में उबालकर काढ़ा बनाना चाहिए। इस काढ़े से निकली भाप को श्वास द्वारा भीतर लेने से गले की खराश और सूखी खांसी में लाभ मिलता है।

भिंडी एक उपयोगी टॉनिक है। इसके नियमित उपयोग से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है तथा वीर्य भी गाढ़ा होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लेख है कि भिंडी के पौधे की जड़ों के चूर्ण को प्रतिदिन 5–10 ग्राम दूध व मिश्री के साथ लेने से यौन शक्ति बनी रहती है।

भिंडी का गूदा विटलों, फोड़े, कार्बन्कल के उपचार में पुल्टिस का कार्य करता है। सोने से पूर्व नित्य इसका लेप लगाकर आधे घंटे बाद धोने से त्वचा मुलायम व साफ होती है। इससे मुंहासे ठीक होते हैं।

कोमल भिंडी को उबालकर, भांप देकर, काटकर और तलकर उपयोग में लाया जाता है। इसमें बहुत लस होता है। सूप तथा ग्रेवी में भी इसका उपयोग होता है। इन्हें सुखाकर व पीसकर सुगंध के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनकी छोटी पत्तियां खाई भी जाती हैं। पके बीजों में लगभग 20 प्रतिशत खाद्य तेल रहता है।

मेथी

मेथी महत्वपूर्ण हरी सब्जियों में एक है। इसका नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ रखता है। औषधि और भोजन दोनों तरह से इसका उपयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है।

हमारे देश मे मेथी का साग प्रिय है। मेथी से जहां आर्द्रता 86.1 प्रतिशत मिलती है वहीं प्रोटीन 4.4, वसा 0.9, खनिज 1.5, तंतु 1.1 और कार्बोहाइड्रेट 6.0 प्रति 100 ग्राम मिलते हैं। खनिज विटामिनों में कैल्शियम 395, फास्फोरस 51, लौह तत्व 16.5, मि.ग्रा., कैरोटीन 2,340 माइक्रोगाम, नियासिन 0.04 और विटामिन सी 52 मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम भाग में मिलता है। इसमें कैलोरी ऊर्जा 49 मिलती है। मेथी की सूखी पत्तियों

में दालों के बराबर प्रोटीन होता है।

मेथी में क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं जैसे मेथी लेमिन, डाइमेथिलेमिन, ट्राइमेथाइमेलिन, कोलीन, यूरीन और बेटाइन। मेथी के बीज में 0.33 से 0.1 प्रतिशत तक गइयोस्मेनिन पाया जाता है, जो स्टेरोइड प्रोग्रेस्ट्रोन में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे गर्भ– निरोधक क्षमता प्राप्त होती है।

मेथी की पत्तियां सुगंधित, ठंडी और नरम होती हैं। अपचन, सूजन, यकृत, मुंह के अल्सर इत्यादि बीमारियों में ये बड़ी फायदेमंद होती हैं। यदि पत्तियों के साथ उबले पानी से कुल्ला किया जाए तो अल्सर में तुरंत फायदा पहुंचता है।

रक्त के निर्माण में मेथी का साग लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे वे खून की कमी और युवावस्था के शुरू में होनेवाली समस्त परेशानियां से छुटकारा पा सकती हैं।

मेथी के बीज का रासायनिक विश्लेषण करने से यह ज्ञात हुआ है कि इसमें "कॉड लीवर ऑयल" के गुण विद्यमान होते हैं, जैसे मेथी में भी फास्केट्स लेसिथीन और न्यूक्लियो – अल्ब्यूमिन पाया जाता है। इसका क्षारीय गुण भूख को बढ़ाता है। बच्चों में व्याप्त सुखंडी रोग में इससे अच्छा लाभ मिलता है। संक्रामक बीमारियों में भी इससे आराम मिलता है। मधुमेह के रोगियों को भी इसके सेवन से लाभ मिलता है। प्रसूतावस्था में मेथी का सेवन करने से महिलाओं को लाभ मिलता है।

मेथी के बीजों से बालों की रूसी का भी उपचार किया जा सकता है। इसके लिए दो चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगो दीजिए। प्रातः काल उन मुलायम बीजों को मसलकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब इसको अपने पूरे सिर पर लगाकर लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके पश्चात् सिर को शिकाकाई अथवा साबुन से अच्छी तरह साफ कर लीजिए। कुछ ही दिनों में रूसी का नामोनिशान नहीं मिलेगा।

संक्रामक रोगों की विषम परिस्थितियों, जैसे श्वासनली में सूजन, सर्दी–जुकाम, नासूर–नज़ला और निमोनिया में मेथी की चाय अत्यन्त लाभदायक होती है, क्योंकि इससे पसीना आता है और उसी के साथ ही सारा विकार भी शरीर से बाहर निकल जाता है। मेथी के बीज से बने काढ़े से कुल्ला करना गले के लिए उत्तम है। इनके लिए दवा बनाना भी उतना ही सरल है। मेथी के दो चम्मच बीज 250 मि.ली. पानी में डालकर उसे लगभग आधे घंटे तक गरम कीजिए। हां, आंच जरा धीमी रखिए। तो लीजिए, गले की औषधि तैयार!

अतिसार, जो महिलाओं को कष्ट देने वाली बीमारी है, जो इंद्रियों में आई कुछ विषमताओं के कारण होती है, में भी मेथी की चाय फायदेमंद होती है।

विश्वप्रसिद्ध पोषक आहार विशेषज्ञ लिर्लोड कॉर्डेल के अनुसार मेथी में शरीर को साफ करने की ऐसी शक्ति है जो अचंभित कर देती है। शरीर के अदंर की सारी विषमताओं को इसका तेल दूर कर देता है। कोशिकाएं भी इसको अपने पुनर्निर्माण के लिए आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। इनमें से कुछ पसीने की ग्रंथियों मे जाकर सारी बेकार चीजों को बाहर कर देती हैं।

मिस्र और इथोपिया में मेथी के बीज ब्रेड और बेकरी के उत्पादनों में प्रयोग किए जाते हैं। मिस्र तथा स्विट्जरलैंड में भोजन को स्वादिष्ट बनाने में तथा अमेरिका में अनेक रूपों और तरकारियों में मेथी का प्रयोग किया जाता है। जावा में तो बालों के टॉनिक और सौन्दर्य सामग्री में भी इसका उपयोग होता है।

(लेखक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक हैं)

बूंद- बूंद सिंचाई प्रणाली से की धान की पैदावार

घनश्याम वर्मा

यूं तो धान की खेती के लिए भरपूर पानी की जरूरत होती है। इसके लिए खेतों में लबालब पानी भरा रहना जरूरी होता है, जबकि इस लेख में दो ऐसे काश्तकारों की चर्चा की गई है जिन्होंने बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के जरिए धान की भरपूर पैदावार लेकर कृषि जगत में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोटा शहर के समीपस्थ भदाना ग्राम के इन दोनों कृषक मित्रों ने पहली बार धान की फसल में ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल कर 10 से 20 प्रतिशत तक अधिक पैदावार ली है।

'बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से हुई धान की भरपूर पैदावार।' कहने और सुनने में यह बात आपको भले ही अटपटी और अविश्वसनीय लगे, लेकिन है सोलह आना सही। कोटा जिले के दो प्रयोगधर्मी एवं प्रगतिशील युवा कृषकों शांतनु तापड़िया और राजेश विजय ने अपने धान के खेतों में बूंद–बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) तकनीक का इस्तेमाल कर भरपूर फसल लेने में कामयाबी हासिल की है।

प्रयोगधर्मी कृषक शांतनु तापड़िया ने बताया कि सर्वप्रथम गत वर्ष उन्होंने 28 बीघा धान के खेत में ड्रिप सिस्टम लगवाया, जिस पर प्रति बीघा चार हजार रुपये का खर्चा हुआ। धान की पूसा– 1121 तथा सुगंधा किस्मों को काम में लिया। धान उपजाने के लिए जरूरी फ्लड इरीगेशन के स्थान पर ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की। धान की परम्परागत खेती में खेत में पांच–छः इंच तक पानी का भराव जरूरी होता है, जबकि ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद एक इंच पानी से ही धान की भरपूर उपज ले ली। ड्रिप सिस्टम के जरिए एक इंच पानी कुछ ही घंटों में दिया जा सकता है।

श्री तापड़िया ने बताया कि ड्रिप सिस्टम में दोनों किस्मों की उपज फ्लड इरीगेशन सिस्टम की तुलना में अधिक रही। पूसा– 1121 किस्म के धान की औसत उपज साढ़े सात क्विंटल प्रति बीघा रही, जबकि फ्लड इरीगेशन से औसत उपज 5 से 8 क्विंटल ही रहती है। इसी प्रकार सुगंधा किस्म के धान की उपज 10 क्विंटल प्रति बीघा रही, जबकि फ्लड इरीगेशन से 9 क्विंटल तक पैदावार बैठती है। ड्रिप सिंचाई के लिए एक बोरिंग से अच्छी तरह काम चल गया।

समस्या बनी प्रेरणा का स्रोत– धान के खेत में ड्रिप सिस्टम लगाने की सलाह एवं प्रेरणा किसने दी ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री तापड़िया ने एक छोटा–सा वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि एक दिन वह उनके एक मित्र (ड्रिप सिस्टम के डीलर) की दुकान पर बैठे थे, तभी एक काश्तकार वहां आया और डीलर मित्र को बताने लगा कि उसके लौकी के खेत में रात में ड्रिप से काफी पानी भर गया है, जिसे निकालने की समस्या आ खड़ी हुई है। बस उस काश्तकार की समस्या ने ही उनके दिमाग में यह विचार ला दिया कि यदि ड्रिप सिस्टम से खेत में पानी भर सकता है तो क्यों न इसी सिस्टम का उपयोग धान की खेती में भी कर लिया जाए ,जिसमें भी जलभराव की जरूरत होती है। बस अपने उसी विचार को गत वर्ष उन्होंने अपने 28 बीघा धान के खेत में क्रियान्वित कर डाला, जिसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए।

केमिकल इंजीनियर तापड़िया ने बताया कि गत वर्ष धान की फसल लेने के बाद उसी खेत में प्याज लगाया तो प्याज की उपज भी 60 क्विंटल प्रति बीघा बैठी, जबकि आमतौर पर धान के बाद यह उपज प्रति बीघा 35 क्विंटल तथा सोयाबीन के बाद 40 से 50 क्विंटल ही बैठती है। अर्थात बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाने में धान की उपज के बाद उसी खेत में बोई गई प्याज की पैदावार भी औसत उपज से अधिक रही और पानी व बिजली की लगभग 40 से 60 प्रतिशत बचत हुई सो अलग। श्री तापड़िया धान के खेत में इस वर्ष भिण्डी की पैदावार ले रहे हैं।

शांतनु के ही मित्र राजेश विजय ने भी इस वर्ष करीब 38 बीघा धान के खेत में ड्रिप सिस्टम लगाया। राजेश ने अपने खेत में पूसा– 1121 तथा सुगंधा– 2 किस्म के धान की रोपाई की। सर्वप्रथम उन्होंने खेत में खुला पानी देकर पडलिंग की। तत्पश्चात खेत पर ड्रिप के लैटरल बिछाने के बाद धान की पौधा रोपकर तुरंत ही ड्रिप से सिंचाई आरंभ कर दी। तीस दिन बाद जब फसल बाली निकलने की अवस्था में आई, उस समय नियमित सिंचाई का विशेष ध्यान रखा गया। कृषि स्नातक राजेश विजय ने बताया कि वह प्रति सप्ताह के अंतराल में बूंद–बूंद पद्धति से सिंचाई करते रहे। प्रत्येक सिंचाई में लगभग सात घंटे तक ड्रिप चलाई गई। बालियों में दाने पड़ने के बाद सिंचाई का अन्तराल दो सप्ताह का कर दिया गया और यह स्थिति 90 दिन तक रही। अंतिम सिंचाई के बाद फसल पकने की अवस्था में आ गई, जिसे अब और सिंचाई की जरूरत नहीं रही।

फायदेमंद रही बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति– कृषक राजेश ने बताया कि ड्रिप सिस्टम से न केवल सिंचाई की, बल्कि फर्टिलाइजर एवं

कृषक शांतनु तापड़िया और राजेश विजय

कीटनाशक दवा को भी घुलनशील अवस्था में पूरे खेत में पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि खेत में खुले रूप में पानी देने से अधिकांश पानी व्यर्थ ही चला जाता है, जबकि बूंद–बूंद पद्धति से समूचा पानी जमीन में ही समा जाता है। खुले पानी से सिंचाई करने पर फसल को दुबारा पानी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ड्रिप सिस्टम से पानी की आवश्यकता देर से महसूस हुई।

श्री राजेश ने बताया कि इस पद्धति को अपनाने से उन्हें एक लाभ और हुआ कि धान में फ्लड इरीगेशन से होने वाला शीथ ब्लाइट एवं ब्लास्ट रोग ड्रिप सिस्टम को काम में लेने से हुआ ही नहीं। धान में ड्रिप सिस्टम अपनाने से पैदावार भी 15 से 20 प्रतिशत अधिक हुई। उन्होंने बताया कि बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति के कारण पानी व बिजली की भी पचास प्रतिशत से अधिक की बचत हुई और मानवश्रम भी कम करवाना पड़ा। सामान्य पद्धति से धान की फसल लेने पर 12 बीघा में सिंचाई कार्य के लिए एक श्रमिक की आवश्यकता होती है, जबकि ड्रिप सिस्टम में 35 बीघा में मात्र एक श्रमिक ने ही सिंचाई कार्य सम्पन्न कर दिया। इस प्रकार तीन गुना श्रमिकों की भी बचत हुई।

श्री राजेश ने बताया कि सिंचाई के लिए उनके खेत में मात्र एक ही बोरिंग है, जिसके जरिए उन्होंने 35 बीघा में ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर ली। यदि वह फ्लड इरीगेशन सिस्टम से सिंचाई करते तो निश्चित रूप से एक बोरिंग से काम नहीं चल पाता। उन्होंने बताया कि ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करने पर कृषकों को खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लड इरीगेशन वाले खेतों में तो पानी भरा रहने के कारण खरपतवार होती ही नहीं, जबकि ड्रिप सिस्टम में खेत खाली रहने के

कारण खरपतवार अधिक मात्रा में उग आती है, जिसे तुरंत हटाना जरूरी होता है।

भौचक्के रह गए कृषि विभाग के अधिकारी– दोनों कृषकों ने बताया कि एकबारगी तो ड्रिप सिस्टम से धान की खेती की बात कृषि विभाग के अधिकारियों के गले ही नहीं उतरी। वे लोग बीच–बीच में चार–पांच बार उनके खेतों पर आते रहे और फसल का जायजा लेते रहे। अंत में उन्होंने जब दोनों कृषकों के खेतों पर धान की फसल को परिपक्व अवस्था में देखा तो भौंचक्के रह गए। उन्होंने बताया कि कई किसान भाई भी उनके पेड़ी के खेत देखने आते थे और यह प्रतिक्रिया व्यक्त करके चले जाते थे कि– "भला ऐसे भी कोई पेडी की खेती हो सकती है क्या?" राष्ट्रीय बागवानी मिशन में ड्रिप सिस्टम लगाने पर कृषकों को उद्यानिकी फसलों तथा बगीचों के लिए 70 प्रतिशत और गैर उद्यानिकी फसलों के लिए 60 प्रतिशत अनुदान देय है। अतः इन दोनों कृषकों को भी लागत राशि का 70 प्रतिशत अनुदान लाभ दिया गया।

कोटा जिला कलेक्टर टी. रविकांत ने हाल ही में भदाना ग्राम में स्थित राजेश विजय के धान के खेत में जाकर उनके द्वारा अपनाए गए इस अनूठे नवाचार का अवलोकन किया और उनके इस प्रयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि सभी किसान इसी तरह प्रयोगधर्मिता अपनाएं और विजय एवं तापड़िया द्वारा अपनाई गई पद्धति को काम में लें तो निश्चित रूप से सिंचाई योग्य बहुमूल्य जल की बचत संभव है। जिला कलेक्टर ने उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकाधिक किसानों को बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। वाकई अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में भी ड्रिप सिस्टम के जरिए पानी का कुशलतम उपयोग करते हुए धान की खेती करने का यह अनूठा नवाचार कृषि जगत के लिए वरदान सिद्ध होगा।

(लेखक सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी हैं।)
ई–मेल : cprbun@hotmail.com

हमारे आगामी अंक

फरवरी, 2010 – ग्रामीण स्वास्थ्य

मार्च, 2010 – कृषि और जलवायु परिवर्तन

अप्रैल, 2010 – बजट 2010–11

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम सै कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए ।

तेरह भारतीय भाषाओं में हमारी पुस्तकें

क्षेत्रीय सुगंध से महकता गुलदस्ता

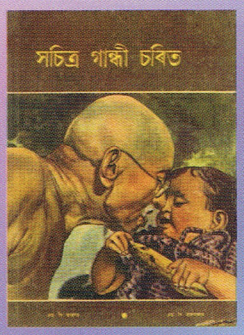

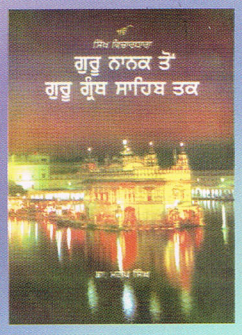

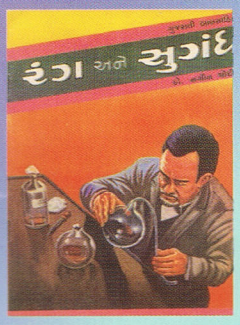

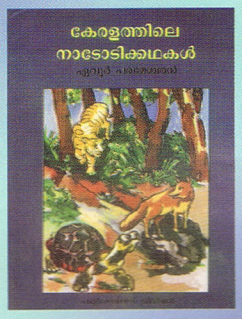

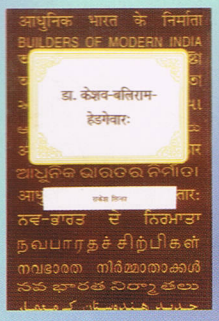

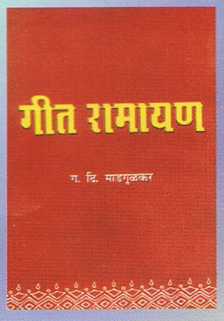

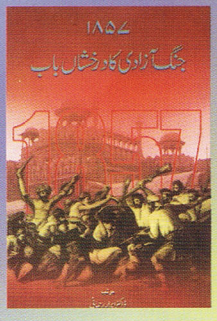

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विक्रय केंद्रः सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, **नई दिल्ली**–110 003. हाल नं0 196, पुराना सचिवालय, **दिल्ली**–110 054. सी–701, केंद्रीय सदन, बेलापुर, **नवी मुंबई**–400 614. 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, **कोलकाता**–700 069. राजाजी भवन, एफ एंड जी ब्लॉक, 'ए' विंग बेसेंट नगर, **चेन्नई**–600 090. बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, **पटना**–800 004. प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस **तिरुअनंतपुरम**–695 001. हाल नं.1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, **लखनउ**–226 024. ब्लॉक नं. 4, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, **हैदराबाद**–500 001. प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, **बंगलौर**–560 034. अम्बिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, **अहमदाबाद**–380 007. हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, **गुवाहाटी**–781 003.

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें – www.publicationsdivision.nic.in
e-mail:dpd@sb.nic.in, dpd@hub.nic.in

आर. एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना